



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना -800001

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं.-14/2026, चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल- 32,388 (बत्तीस हजार तीन सौ अठासी) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-

(i)	भुगतान प्रारम्भ करने की तिथि	01.09.2026
(ii)	भुगतान की अंतिम तिथि	29.09.2026
(iii)	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	01.09.2026
(iv)	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	30.09.2026

- उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना/विवरणी/जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली-भाँति अध्ययन कर लेंगे।

प्रीति

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

**विद्यालय अध्यापक (TRE-4.0) भर्ती परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा
(STET), 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्व-घोषणा:-**

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/सुश्री/श्रीमतीपिता.....
माता.....जन्म तिथि.....आधार संख्या.....
ग्राम/शहर.....डाकघर.....थाना.....
जिला.....राज्य.....का निवासी हूँ। मैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा
(STET), 2026 का अभ्यर्थी हूँ एवं मेरा आवेदन संख्या-.....है। उक्त आवेदन की छायाप्रति
संलग्न है।

नोट:-मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त जानकारी सत्य एवं वैध है। यदि कोई भी जानकारी
असत्य पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार आयोग के पास होगा,
जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा/रहूँगी।

	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	माता का नाम
हिन्दी में			
अंग्रेजी में (Capital Letter)			

नाम:-.....

हस्ताक्षर:-.....



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.-14/2026,

दिनांक-18.08.2026

चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल- 32,388 (बत्तीस हजार तीन सौ अठासी) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

1. इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है:-

(क) प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1-5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल-3847 पद

		कोटि							दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी	ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद	
क्र. सं.	विषय	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)			मनोविकार / बहुदिव्यांग (MD)
		इनमें महिलाओं के लिए (50%) क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या													
1.	सामान्य	1224	239	237 (66 पद वैकलॉग) =303	323	580 (239 पद वैकलॉग) = 819	38 (05 पद वैकलॉग) =43	110 (04 पद वैकलॉग) = 114	3065	27	27	25	27	53	03
		610	117	118	159	288	18	1310							
2.	उर्दू	108	22	28 (61 पद वैकलॉग) =89	45 (26 पद वैकलॉग) =71	166 (231 पद वैकलॉग) =397	10 (12 पद वैकलॉग) =22	20 (28 पद वैकलॉग) = 48	757	02	03	05	04	08	01
		53	09	13	22	81	02	180							
3.	बांग्ला	03	00	01 (02 पद वैकलॉग) = 03	02 (05 पद वैकलॉग) = 07	03 (06 पद वैकलॉग) = 09	00	03 पद वैकलॉग	25	01	00	00	00	00	00
		01	00	00	00	00	00	01							
कुल		1335	261	395	401	1225	65	165	3847	30	30	30	31	61	04
									1491						

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- विद्यालय अध्यापक, अराजपत्रित

वेतनमान:- प्रारम्भिक वेतन प्रक्रम 25,000/- एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते।

(ख) मध्य विद्यालय (वर्ग 6-8 तक) के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल-8563 पद

		कोटि							दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद	
क्र. सं.	विषय	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक वधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)			मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD)
		इनमें महिलाओं के लिए (50%) क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या													
1.	गणित एवं विज्ञान	752	140	262 (121 पद वैकलॉग) = 383	150 (110 पद वैकलॉग) = 260	337 (141 पद वैकलॉग) = 478	36 (18 पद वैकलॉग) = 54	95 (26 पद वैकलॉग) = 121	2188	21	18	17	19	37	05
		367	63	122	70	161	10		793						
2.	सामाजिक विज्ञान	530	76	145 (28 पद वैकलॉग) = 173	88 (22 पद वैकलॉग) = 110	162 (37 पद वैकलॉग) = 199	16 (06 पद वैकलॉग) = 22	64 (16 पद वैकलॉग) = 80	1190	12	12	11	08	22	03
		257	31	67	39	72	04		470						
3.	हिन्दी	274	71	120 (137 पद वैकलॉग) = 257	74 (69 पद वैकलॉग) = 143	125 (152 पद वैकलॉग) = 277	06 (16 पद वैकलॉग) = 22	21 (31 पद वैकलॉग) = 52	1096	10	09	05	04	16	00
		129	27	55	31	56	00		298						

(Handwritten Signature)

4.	अंग्रेजी	513	122	225 (157 पद वैकलॉग) = 382	140 (88 पद वैकलॉग) = 228	230 (354 पद वैकलॉग) = 584	08 (25 पद वैकलॉग) = 33	32 (35 पद वैकलॉग) = 67	1929	14	14	12	11	23	01
		248	53	105	61	106	01		574						
5.	संस्कृत	200	48	91 (260 पद वैकलॉग) = 351	54 (90 पद वैकलॉग) = 144	79 (304 पद वैकलॉग) = 383	04 (19 पद वैकलॉग) = 23	09 (67 पद वैकलॉग) = 76	1225	06	04	03	05	10	00
		93	14	38	16	31	00		192						
6.	उर्दू	243	47	86 (57 पद वैकलॉग) = 143	49 (48 पद वैकलॉग) = 97	139 (214 पद वैकलॉग) = 353	10 (11 पद वैकलॉग) = 21	20 (11 पद वैकलॉग) = 31	935	05	06	07	06	09	00
		116	16	35	18	57	00		242						
कुल		2512	504	1689	982	2274	175	427	8563	68	63	55	53	117	09
									2569						

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- विद्यालय अध्यापक, स्नातक कोटि (अराजपत्रित)
वेतनमान:- प्रारम्भिक वेतन प्रक्रम 28,000/- एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते।

(ग) माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9-10 तक) के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल-3877 पद

क्र. सं.	विषय	कोटि								दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	भूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार/ बहुदिव्यांग (MD)		
		35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कोटिवार पद													
1.	हिन्दी	138	22	31 (02 पद वैकलॉग) = 33	31 (02 पद वैकलॉग) = 33	84 (15 पद वैकलॉग) = 99	11 (02 पद वैकलॉग) = 13	21 (02 पद वैकलॉग) = 23	361	03	02	03	04	04	01
		49	06	10	11	27	02		105						
2.	अंग्रेजी	223	30	31 (06 पद वैकलॉग) = 37	44 (07 पद वैकलॉग) = 51	213 (115 पद वैकलॉग) = 328	08 (08 पद वैकलॉग) = 16	09 (02 पद वैकलॉग) = 11	696	07	04	07	04	14	01
		76	07	08	12	75	00		178						
3.	विज्ञान	206	33	24 (06 पद वैकलॉग) = 30	55 (09 पद वैकलॉग) = 64	76 (09 पद वैकलॉग) = 85	06 (03 पद वैकलॉग) = 09	32 (04 पद वैकलॉग) = 36	463	02	04	06	05	08	01
		72	08	06	16	22	00		124						
4.	गणित	235	39	61 (16 पद वैकलॉग) = 77	68 (09 पद वैकलॉग) = 77	73 (08 पद वैकलॉग) = 81	09 (01 पद वैकलॉग) = 10	43 (08 पद वैकलॉग) = 51	570	03	06	06	07	09	02
		83	10	19	20	22	00		154						
5.	सामाजिक विज्ञान	308	58	53 (10 पद वैकलॉग) = 63	100 (20 पद वैकलॉग) = 120	152 (03 पद वैकलॉग) = 155	05 (01 पद वैकलॉग) = 06	44 (02 पद वैकलॉग) = 46	756	05	04	08	10	12	02
		105	16	16	34	52	00		223						
6.	संस्कृत	61	10	14 (11 पद वैकलॉग) = 25	26 (61 पद वैकलॉग) = 87	28 (81 पद वैकलॉग) = 109	02 (07 पद वैकलॉग) = 09	05 (16 पद वैकलॉग) = 21	322	02	00	02	01	04	00
		23	01	02	07	07	00		40						
7.	उर्दू	124	24	49 (34 पद वैकलॉग) = 83	29 (27 पद वैकलॉग) = 56	133 (205 पद वैकलॉग) = 338	07 (13 पद वैकलॉग) = 20	07 (08 पद वैकलॉग) = 15	660	03	01	02	07	06	00
		36	04	13	06	44	00		103						
8.	शारीरिक विज्ञान	21	02	04 (02 पद वैकलॉग) = 06	07	07 (01 पद वैकलॉग) = 08	02	01	47	02	01	01	00	01	00
		04	00	00	01	00	00		05						

9.	संगीत	00	00	00	02	00	00	00	02	01	00	00	00	00	00
		00	00	00	00	00	00		00						
कुल		1316	218	354	497	1203	85	204	3877	28	22	35	38	58	07
									932						

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- विद्यालय अध्यापक, अराजपत्रित

वेतनमान:- मूल वेतन 31,000/- प्रतिमाह एवं अन्य देय भत्ते।

(घ) उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 11-12 तक) के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल-16101 पद

क्र. सं.	विषय	कोटि							दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद	
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)			मनोविकार/बहुदिव्यांग (MD)
		35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कोटिवार पद													
1.	जन्तु विज्ञान	124	32	52 (16 पद वैकलॉग) = 68	33 (10 पद वैकलॉग) = 43	96 (48 पद वैकलॉग) = 144	11 (03 पद वैकलॉग) = 14	24	449	02	03	05	04	07	00
		39	05	13	07	33	00		97						
2.	वनस्पति विज्ञान	185	46	89 (206 पद वैकलॉग) = 295	29 (50 पद वैकलॉग) = 79	102 (273 पद वैकलॉग) = 375	08 (21 पद वैकलॉग) = 29	16 (53 पद वैकलॉग) = 69	1078	04	04	05	04	11	00
		60	07	22	06	30	00		125						
3.	रसायन शास्त्र	800	183	371 (585 पद वैकलॉग) = 956	217 (329 पद वैकलॉग) = 546	361 (605 पद वैकलॉग) = 966	20 (42 पद वैकलॉग) = 62	63 (119 पद वैकलॉग) = 182	3695	19	20	22	20	41	01
		279	58	126	71	124	00		658						
4.	गणित	151	27	31 (11 पद वैकलॉग) = 42	18 (13 पद वैकलॉग) = 31	186 (165 पद वैकलॉग) = 351	11 (12 पद वैकलॉग) = 23	21 (11 पद वैकलॉग) = 32	657	04	07	05	03	09	00
		49	04	07	01	59	00		120						
5.	भौतिकी शास्त्र	287	62	152 (323 पद वैकलॉग) = 475	49 (122 पद वैकलॉग) = 171	183 (417 पद वैकलॉग) = 600	11 (26 पद वैकलॉग) = 37	36 (90 पद वैकलॉग) = 126	1758	07	11	09	06	16	00
		96	13	45	11	58	00		223						
6.	अर्थशास्त्र	58	10	21 (02 पद वैकलॉग) = 23	14 (02 पद वैकलॉग) = 16	18 (01 पद वैकलॉग) = 19	01	10 (01 पद वैकलॉग) = 11	138	00	02	04	00	02	00
		12	00	05	02	01	00		20						
7.	भूगोल	72	15	17 (05 पद वैकलॉग) = 22	10 (05 पद वैकलॉग) = 15	24 (10 पद वैकलॉग) = 34	02 (01 पद वैकलॉग) = 03	12 (03 पद वैकलॉग) = 15	176	01	02	01	01	02	00
		18	00	00	01	04	00		23						
8.	इतिहास	274	52	67 (20 पद वैकलॉग) = 87	27 (12 पद वैकलॉग) = 39	79 (16 पद वैकलॉग) = 95	08 (01 पद वैकलॉग) = 09	50 (02 पद वैकलॉग) = 52	608	03	04	08	07	11	01
		89	14	21	07	25	00		156						
9.	गृह विज्ञान	103	16	41 (42 पद वैकलॉग) = 83	18 (23 पद वैकलॉग) = 41	67 (82 पद वैकलॉग) = 149	02 (06 पद वैकलॉग) = 08	11 (07 पद वैकलॉग) = 18	418	02	02	06	01	05	00
		32	01	08	03	14	00		58						
10.	संगीत	175	27	70 (114 पद वैकलॉग) = 184	32 (40 पद वैकलॉग) = 72	73 (145 पद वैकलॉग) = 218	11 (10 पद वैकलॉग) = 21	18 (21 पद वैकलॉग) = 39	736	03	06	04	03	09	00
		59	02	19	05	18	00		103						
11.	दर्शन शास्त्र	13	01	09 (20 पद वैकलॉग) = 29	02 (04 पद वैकलॉग) = 06	14 (16 पद वैकलॉग) = 30	00	01 पद वैकलॉग	80	02	01	00	00	01	00
		01	00	00	00	00	00		01						

12.	राजनीति शास्त्र	228	42	34 (30 पद वैकलॉग) = 64	15 (24 पद वैकलॉग) = 39	139 (80 पद वैकलॉग) = 219	11 (11 पद वैकलॉग) = 22	39 (12 पद वैकलॉग) = 51	665	06	08	05	05	10	01
		70	09	09	04	46	01		139						
13.	मनोविज्ञान	160	33	72 (199 पद वैकलॉग) = 271	34 (91 पद वैकलॉग) = 125	85 (257 पद वैकलॉग) = 342	07 (18 पद वैकलॉग) = 25	19 (55 पद वैकलॉग) = 74	1030	06	03	05	03	05	00
		47	06	17	08	23	00		101						
14.	समाज शास्त्र	94	18	23 (11 पद वैकलॉग) = 34	17 (09 पद वैकलॉग) = 26	51 (24 पद वैकलॉग) = 75	05 (01 पद वैकलॉग) = 06	11 (02 पद वैकलॉग) = 13	266	00	05	04	01	04	00
		29	01	06	03	12	00		51						
15.	लेखाशास्त्र	30	04	07 (02 पद वैकलॉग) = 09	05 (01 पद वैकलॉग) = 06	07 (03 पद वैकलॉग) = 10	02	05	66	01	00	04	00	01	00
		05	00	00	00	00	00		05						
16.	व्यवसायिक अध्ययन	26	04	06 (05 पद वैकलॉग) = 11	06 (05 पद वैकलॉग) = 11	33 (35 पद वैकलॉग) = 68	03	05 (05 पद वैकलॉग) = 10	133	00	04	01	00	03	00
		03	00	00	00	04	00		07						
17.	उद्यमशीलता	22	03	02 (01 पद वैकलॉग) = 03	04 (01 पद वैकलॉग) = 05	15 (05 पद वैकलॉग) = 20	02	02 (01 पद वैकलॉग) = 03	58	02	00	00	00	01	00
		04	00	00	00	02	00		06						
18.	कम्प्यूटर विज्ञान	213	17	36 (06 पद वैकलॉग) = 42	48 (03 पद वैकलॉग) = 51	28 (05 पद वैकलॉग) = 33	05 (02 पद वैकलॉग) = 07	38 (06 पद वैकलॉग) = 44	407	02	03	05	03	10	01
		74	04	11	15	07	00		111						
19.	अंग्रेजी	313	38	86 (82 पद वैकलॉग) = 168	38 (23 पद वैकलॉग) = 61	257 (401 पद वैकलॉग) = 658	13 (22 पद वैकलॉग) = 35	25 (23 पद वैकलॉग) = 48	1321	06	08	09	06	17	02
		106	05	26	12	86	00		235						
20.	हिन्दी	215	48	46 (42 पद वैकलॉग) = 88	30 (44 पद वैकलॉग) = 74	136 (118 पद वैकलॉग) = 254	10 (09 पद वैकलॉग) = 19	31 (10 पद वैकलॉग) = 41	739	03	09	04	04	09	01
		71	11	08	06	43	00		139						
21.	संस्कृत	126	22	53 (150 पद वैकलॉग) = 203	27 (41 पद वैकलॉग) = 68	57 (197 पद वैकलॉग) = 254	10 (11 पद वैकलॉग) = 21	09 (43 पद वैकलॉग) = 52	746	03	03	03	02	07	00
		36	02	11	04	12	00		65						
22.	उर्दू	183	43	45 (20 पद वैकलॉग) = 65	66 (113 पद वैकलॉग) = 179	134 (223 पद वैकलॉग) = 357	08 (14 पद वैकलॉग) = 22	11 (17 पद वैकलॉग) = 28	877	02	06	07	04	09	00
		58	06	13	15	36	00		128						
कुल		3852	743	3222	1704	5271	371	938	16101	78	111	116	77	190	07
									2571						

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- विद्यालय अध्यापक, अराजपत्रित

वेतनमान:- मूल वेतन 32,000/- प्रतिमाह एवं अन्य देय भत्ते।

नोट:- (i) अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

(ii) विभागीय पत्रांक-905, दिनांक-15.08.2026 के आलोक में वर्ग 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए बांग्ला, ललितकला, नृत्य, मैथिली, विशेष विद्यालय अध्यापक, अरबी एवं फारसी तथा वर्ग 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के लिए बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी एवं कृषि विषय का पूरक अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात् रिक्तियों की सूचना दी जायेगी।

(iii) अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन/आयोजन एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है।

B

- (iv) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5), मध्य विद्यालय (कक्षा 6 से 8), माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 10), विशेष विद्यालय अध्यापक (कक्षा 9 से 10) एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11 से 12) के विद्यालय अध्यापक पद के लिए जिलावार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति (ट्रांसजेन्डर सहित) आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

2. विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होगी:-

- (i) भारत का नागरिक हो।
(ii) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप अनुमान्य होगा।
(iii) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो यथा-
(a) प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (वर्ग 1 से 5) के लिए CTET Paper-I अथवा BTET Paper-I
(b) मध्य विद्यालय (वर्ग 6 से 8) के अध्यापकों के लिए CTET Paper-II अथवा BTET Paper-II
(c) माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9 से 10) एवं विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के अध्यापकों के लिए STET Paper-I
(d) उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक (वर्ग 11 से 12) के लिए STET Paper-II में उत्तीर्ण हों।
परन्तु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

नोट:-

वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हों तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET, 2026) में सम्मिलित होने वाले हों, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET, 2026) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET, 2026) उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रारम्भिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जायेगा।

उन्हें ऐसी परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षाफल सहित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET, 2026) संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनोपरान्त उनकी अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्व-घोषणा (Self-declaration) भी देना होगा। स्व-घोषणा (Self-declaration) का प्रारूप आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

- ❖ शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-581, दिनांक-17.06.2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि CTET अभ्यर्थियों के लिए BTET, 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जायेगा। STET Paper-I एवं STET Paper-II अर्हताधारी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तत्समय में आहूत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित उत्तीर्णांक मान्य होगा। राज्य के बाहर के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में निर्धारित की जायेगी।

विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो सम्प्रति निम्नवत् है:-

(A) विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि (कक्षा 1-5) के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:-

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2002, के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो);

परन्तु—

- (i) वर्ग 1-5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी/आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इन्टरमीडिएट (50 अंकों के साथ) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी।
- (ii) वर्ग 1-5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी/आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इन्टरमीडिएट (50 अंकों के साथ) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी।
- (iii) वर्ग 1-5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इण्टर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी।
- (vi) किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि/डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा।

नोट:—माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने का D.EL.Ed की उपाधि मान्य होगा। वैसे शिक्षक, जो दिनांक-10.08.2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की D.EL.Ed डिग्री मान्य होगी।

(B) विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि (वर्ग 6-8) :- मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि (6-8) के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे:-

(क) गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक।

(ख) सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक।

(ग) भाषा विद्यालय अध्यापक।

(i) नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत् होगी :

स्नातक (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री) और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

कम-से-कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बी०एड०

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं चार वर्षीय बी०ए०/बी०एससी०एड० या बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा)

अथवा

न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी०एड०-एम०एड०।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी०सी०ए० तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)/बी०एड०/बी०एड०(विशेष शिक्षा)/न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एम०सी०ए० और तीन वर्षीय एकीकृत बी०एड०-एम०एड०।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम, 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक (जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो) तथा बी.एड.)।

अथवा

B.Sc. (Bio-Technology) अथवा B.Sc. (Electronics) तथा बी.एड.

(ii) वर्ग 6-8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (Hons.)/आनुषांगिक (Subsidiary) विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो यथा-संस्कृत भाषा के शिक्षक (संस्कृत में स्नातक/शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक)।

(iii) वर्ग 6-8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो।

(iv) वर्ग 6-8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान) में से कोई दो विषय पठित हो।

परन्तु—शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

नोट:—माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने का D.EL.Ed की उपाधि मान्य होगा। वैसे शिक्षक, जो दिनांक-10.08.2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की D.EL.Ed डिग्री मान्य होगी।

(C) सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:—

विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की चार वर्षीय उपाधि।

(D) शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:—

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलेटिक्स में सहभागिता।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलेटिक्स में सहभागिता।

अथवा

प्रतिनिधुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/कोच)-45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन.सी.सी. ('सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो।

अथवा

शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात् बी.पी.एड. पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/एन.सी.सी. ('सी' प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।

तथा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा इसके समतुल्य।

(E) संगीत विषय के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:- न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक-उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(F) ललितकला विषय के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:-न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललितकला विषय में स्नातक-उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(G) नृत्य विषय के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:-न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(H) कक्षा 9 से 10 तक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत् होगा:-

(i) गणित :- शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-956, दिनांक-29.05.2023 के आलोक में "स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साइंस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी

विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो।

- ❖ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1010, दिनांक-08.06.2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साईंस में बी.सी.ए. की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।

(ii) **विज्ञान** :- स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणि विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो।

- ❖ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1154, दिनांक-21.06.2023 के आलोक में जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र के अलावा Biotechnology/Microbiology को भी समाहित किया जाता है।

(iii) **सामाजिक विज्ञान** :- स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो।

- ❖ सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में किसी दो विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं।

- ❖ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1154, दिनांक-21.06.2023 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जायेगा।

(iv) **भाषा से संबंधित विषय** :- माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (Hons.)/आनुषांगिक (Subsidiary) विषय के रूप में पठित हो।

(I) कक्षा 9-10 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:-

(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक-उपाधि एवं

(ख) भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी.एड. के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी.आर.आर. नं. धारित हो

या

बी.एड. के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी.एड. के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी.आर.आर.नं. धारित हो

एवं

(ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण।

परन्तु:- भारतीय पुनर्वास परिषद् के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरान्त उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

(J) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:-

विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०।

अथवा

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी०एड०- एम०एड०।

- (K) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत् होगा:-

Posts (Subject)	Subjects at Post Graduate Level
Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics
Chemistry	Chemistry/Biochemistry
Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
Commerce	Master's Degree in commerce. However, holder of Degree of M.Com in applied/Business Economics shall not be eligible.
Botany/Zoology	शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1010, दिनांक-08.06.2023 के आलोक में Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/Micro Biology/Biotechnology/Molecular Biology/Plant Physiology.
Math	Mathematics/Applied Mathematics

- (L) कक्षा 11 से 12 तक में कम्प्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:-

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उपाधि:-

डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०ई० (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०) या बी०टेक० (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर/एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'सी' तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

अथवा

एम०सी०ए० का तीन वर्षीय कोर्स (6 सेमेस्टर)।

नोट:-कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी०एड० की योग्यता अनिवार्य नहीं है।

- (M) संगीत विषय के लिए कक्षा 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:-

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर-उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त

संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

- (N) कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय/विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में:-

वाणिज्य संकाय में तीन विषय क्रमशः EPS (उद्यमिता), Accountancy (लेखाशास्त्र) एवं Business Study (बिजनेस स्टडी) में नियुक्ति की जायेगी। इस हेतु वाणिज्य (Commerce) में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीन विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। परन्तु EPS (उद्यमिता) अथवा Accountancy (लेखा) अथवा Business Study (बिजनेस स्टडी) विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

- (O) कक्षा 11-12 तक में कृषि शिक्षकों के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:-

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Breeding & Genetics/Entomology/Plant Pathology/Seed Science & Technology/Soil Science/Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

- ❖ सभी स्तर के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

- (P) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध:-

- (i) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा।

नोट:-शिक्षा विभाग के अधिसूचना झापांक-2128, दिनांक-05.08.2025 के आलोक में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटर्मीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। (उक्त वर्णित स्थिति में अविभाजित बिहार से मैट्रिक अथवा इंटर्मीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 40% पद के लिए बिहार राज्य से उत्तीर्ण माना जायेगा)।

परन्तु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियाँ 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेंगी।

- (ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- (iii) NCTE अधिनियम, 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा।

- (Q) स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण -मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू/फारसी/अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी।

- (R) स्नातक के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण -मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की उपाधि उर्दू/फारसी/अरबी विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रदत्त शास्त्री की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी।

- विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित अभ्यर्थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। इसी प्रकार विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) के अनुरूप अनुमान्य होगा। उक्त पृष्ठभूमि में वर्णित कोई प्रावधान NCTE अथवा RCI के प्रावधान के अनुकूल नहीं होने की स्थिति में NCTE अथवा RCI के प्रावधान के अनुरूप स्वतः संशोधित समझा जायेगा।
- ❖ शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

3. आयु सीमा:-

- (i) सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 01.08.2026 तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में सभी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 01.08.2024 को आधार मानकर की जायेगी।
- (ii) प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2026 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 01.08.2026 को 21 वर्ष है।
- (iii) अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष, अनारक्षित महिला-40 वर्ष, ट्रांसजेन्डर-42 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।
- (iv) वार्षिक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है।

नोट:- (i) (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP (Civil) Diary No. (s) 28464/2025 (LPA संख्या-1030/2025) रमन कुमार मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-01.08.2025 को पारित आदेश द्वारा संबंधित वादियों को एक बार के अवसर (One Time Opportunity) के रूप में, याचिकाकर्ता निर्धारित आयु-सीमा पार कर चुके होने के बावजूद, इस विज्ञापन हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

उक्त के आलोक में दिनांक-01.08.2025 के आदेश से उत्पन्न लाम/छूट को केवल उन्हीं वादियों तक सीमित रखा जाएगा, जो संबंधित वाद/न्यायादेश से प्रत्यक्षतः आच्छादित है।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt Petition (c) No....@ Diary No(s) 8853/2025 In T.P.(c) NOS. 1995-1997/2024 में दिनांक-05.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने का D.El.Ed की उपाधि प्राप्त वैसे अभ्यर्थी, जो विज्ञापन संख्या-22/2024 में अर्हता पूर्ण होने के बावजूद भी आयोग के प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया गया था। इन अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा की गणना विज्ञापन संख्या-22/2024 में निर्धारित कट-ऑफ-डेट अर्थात् 01.08.2023 के आधार पर की जायेगी।

परन्तु-क-

- (i) पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं (संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं को मिलाकर) में अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि 12.12.2022 के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

4. **चयन प्रक्रिया:**— प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गयी सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

I. प्रारम्भिक परीक्षा:—

- (i) प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।
 - (ii) प्रारम्भिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) किया जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए $1/3$ (एक तिहाई) Negative Marking का प्रावधान होगा।
 - (iii) प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच विकल्प (A,B,C,D,E) प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर (A), (B), (C) या (D) में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो विकल्प (E) का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्प (A,B,C,D,E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित (Unanswered) प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए $1/3$ (एक तिहाई) अंक की कटौती की जायेगी।
 - (iv) प्रारम्भिक परीक्षा महज जाँच परीक्षा होगी।
 - (v) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।
- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौत्तीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-10771, दिनांक-17.06.2026 के आलोक में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देय 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा।
- **अतिथि शिक्षकों के लिए दिये जाने वाले अधिमानता के संबंध में:-**
- CWJC NO.-2270/2024 संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-29.05.2024 को पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-51, दिनांक-25.01.2018 के तहत सेवा में लिये गये वैसे अतिथि शिक्षकों, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, को आयोग के विज्ञापन संख्या-22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 05 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय लिया गया था।
- माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA भी दायर किया गया है। उक्त LPA No.- 593/2024 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर TRE-4.0 में भी वैसे अतिथि शिक्षक जो निर्धारित योग्यता धारित करते हैं, को प्रत्येक वर्ष के सेवा अवधि के लिए 05 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय पुनः लिया गया है। इस हेतु अतिथि शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- नोट:—(i) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिमानता में प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिये चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की ढाई गुनी से लेकर दस गुनी होगी। कोटिवार समान कट-ऑफ-अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12956, दिनांक-16.08.2024 के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374 दिनांक-16.07.2007 एवं संकल्प

ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के अनुसार परीक्षा (प्रारम्भिक एवं मुख्य) के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा-दोनों चरणों में अनुभव का अधिमानता अंक जोड़ा जायेगा।

II. मुख्य परीक्षा:-

➤ मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे:-

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
1.	भाषा (अर्हता) एवं सामान्य अध्ययन	150 भाग-I-30, भाग-II-120	02:30 घंटे	150	प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) के लिए ➤ यह पत्र दो भाग में होंगे यथा- भाग-I एवं भाग-II ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
2.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	मध्य विद्यालय (वर्ग 6-8) के लिए ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- विषय पत्र के लिए उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। नोट:-वर्ग 6-8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ➤ उपरोक्त सभी विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
3.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 9 से 10) एवं विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के लिए ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग

					में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) एवं विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शारीरिक विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, बांग्ला, ललितकला, नृत्य, मैथिली, अरबी एवं फारसी। नोट-वर्ग 9-10 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
4.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	<u>उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग 11-12) के लिए</u> ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I-भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, कम्प्यूटर साईंस, व्यवसायिक अध्ययन, उद्यमशीलता, लेखा, बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी एवं कृषि। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ➤ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।

- सभी पदों के लिए ली जानेवाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।
- मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) किया जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए $1/3$ (एक तिहाई) Negative Marking का प्रावधान होगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच विकल्प (A,B,C,D,E) प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर (A), (B), (C) या (D) में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो विकल्प (E) का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्प (A,B,C,D,E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित (Unanswered) प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए $1/3$ (एक तिहाई) अंक की कटौती की जायेगी।

नोट:-बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 की कंडिका-7(v) के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौत्तीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-10771, दिनांक-17.06.2026 के आलोक में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देय 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा।
- उक्त विज्ञापन हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

मेधा सूची:-

➤ वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए मेधा सूची का निर्धारण:-

मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक (भाग-II) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबधिक मेधा सूची तैयार करेगा। भाग-II (सामान्य अध्ययन) के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

➤ वर्ग 6 से 8, 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) एवं 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के लिए मेधा सूची का निर्धारण:-

मुख्य परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग-II एवं III) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबधिक मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक (भाग-II एवं III) समान होने की स्थिति में चयनित विषय (भाग-III) का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

नोट:-CWJC NO.-2270/2024 संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-29.05.2024 को पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-51, दिनांक-25.01.2018 के तहत सेवा में लिये गये वैसे अतिथि शिक्षकों, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, को आयोग के विज्ञापन संख्या-22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 05 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय लिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA भी दायर किया गया है। उक्त LPA No.- 593/2024 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर TRE-4.0 में भी वैसे अतिथि शिक्षक जो निर्धारित योग्यता धारित करते हैं, को प्रत्येक वर्ष के सेवा अवधि के लिए 05 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने का निर्णय पुनः लिया गया है। इस हेतु अतिथि शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

- अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं।

नोट:-औपबधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

➤ साक्षात्कार:-

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

➤ अधिमानता/प्राथमिकता:-

- प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक वर्ग हेतु आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित आवश्यक अर्हता एवं उम्र के अनुरूप एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे।
- विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग द्वारा विषयवार एवं जिलावार किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से जिला चयन हेतु अधिकतम 38 जिलों का विकल्प ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा तथापि अभ्यर्थी का उन्हीं जिलों हेतु परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा, जहाँ के लिए उनके द्वारा विकल्प दिया जाता है। विकल्प के अनुरूप उनकी विषयवार एवं कोटिवार वरीयता नहीं रहने पर उस पद पर दावा अनुमान्य नहीं किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप— यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 10 (दस) जिलों का विकल्प दिया जाता है, तो 10 (दस) जिला में वरीयता के अनुरूप संबंधित विषय/कोटि में रिक्ति उपलब्ध होने पर उनका परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा। अन्य जिला का विकल्प नहीं भरे जाने की स्थिति में शेष बचे जिला हेतु उनका दावा अनुमान्य नहीं किया जायेगा।

5. अन्य निर्देश:-

- (i) कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, 2024 के आलोक में अधिकतम 05 (पाँच) बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।
- (ii) आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाय, की अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।
- (iii) आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व-घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा।

नोट:-आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधासूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किये गये दावे की सत्यता की जाँच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात् मेधासूची को प्रशासी/शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा।

6. आरक्षण:-

- (i) सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (iii) आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा।
- (iv)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - (a) जाति प्रमाण-पत्र
 - (b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक- 23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2003 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरुष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

- (vi) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनारक्षित (Unreserved)	UR	01
2.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)	SC	02
3.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)	ST	03
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
5.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (Backward Class ladies)	BCL	06
7.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

- (vii)(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-8962, दिनांक-21.05.2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability)को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/Civil Surgeon/CMO से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा नियुक्ति के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जाँच प्रशासी विभाग द्वारा की जायेगी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2568, दिनांक-11.02.2025 के आलोक में विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।

- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी) महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति

के अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

- (x) सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-10579, दिनांक-15.06.2026 के आलोक में बिहार राज्य हेतु अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-47 पर दर्ज किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को इस विज्ञापन में वर्णित रिवित के अनुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके ट्रांसजेन्डर होने के निमित्त निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) अभ्यर्थियों को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

- (xi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

सभी वांछित प्रमाण-पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि-30.09.2026 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:-(a) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/ शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

- (b) आयोग द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

(i) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।

(ii) विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र।

(iii) विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी अंक-पत्र।

(iv) भारतीय पुर्नवास परिषद् द्वारा प्रदत्त वैध सी.आर.आर. नम्बर एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(v) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र।

(vi) अतिथि शिक्षक के लिए अधिमानता का लाभ लेने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र।

(vii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र।

(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

(ix) ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके ट्रांसजेन्डर होने के निमित्त निर्गत प्रमाण पत्र।

(x) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

(xi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र (उक्त प्रमाण पत्र आवेदन करते समय वैध होना चाहिए)।

(xii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र।

(xiii) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

(xiv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 एवं पत्रांक-2568, दिनांक-11.02.2025 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं

अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र।

- (xv) पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- (xvi) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- (xvii) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- (xviii) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xix) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा कि आवेदन में दावा किया हो।
- (xx) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) पासपोर्ट आकार का फोटो।
- (xxi) प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति।
- (xxii) प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए निर्गत e-Admit card की प्रति।

7. प्रमाण पत्रों की जाँच:-

- (i) नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथाआवश्यक जाँच करा लेंगे।
- (ii) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उडिसा पब्लिक डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

8. शुल्क :- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-15568, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को 100/- (एक सौ रुपये) परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है।

अभ्यर्थी यदि एक से अधिक वर्ग हेतु आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक वर्ग यथा- वर्ग 1 से 5, 6 से

8, 9 से 10 एवं 11 से 12 के लिए अलग-अलग परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:- Biometric fee 200/- (दो सौ) रुपये।

वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

दस्तावेज सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाइल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है। आधार लिंक मोबाइल नम्बर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाइल नम्बर को आधार से लिंक करा लें। परीक्षाफल के प्रकाशन के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के मोबाइल पर यदि OTP की समस्या उत्पन्न होती है एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	भुगतान प्रारम्भ करने की तिथि	01.09.2026
2.	भुगतान की अंतिम तिथि	29.09.2026
3.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	01.09.2026
4.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	30.09.2026

- (ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) के रिजल्ट कार्ड नम्बर के स्थान पर BSEB Unique ID No. एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए CTET उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित Serial No. एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे।
- (iv) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने के उपरान्त ही भुगतान करें।
- (v) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि

दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(vi) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा, अनुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार (शिक्षा विभाग) द्वारा किया जायेगा।

(vii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

10. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-

A. One Time Registration (OTR)

- (i) BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट <https://bpsconline.bihar.gov.in> पर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है।
- (ii) OTR करने के लिए अभ्यर्थी New user Registration Button पर Click करेंगे।
- (iii) भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा।
- (iv) OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है।
- (v) OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के Inbox या Spam में अपना ईमेल OTP देखें।
- (vi) जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा।
- (vii) एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत/रद्द हो सकता है।
- (viii) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय One Time Registration (OTR) कराया है, वे भी नए पोर्टल पर नये सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ix) ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नं./ईमेल.आई.डी. एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाये गये पासवर्ड से URL: <https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login> पर Login करेंगे।

नोट:-

- (i) OTR के क्रम में भरे गये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार संख्या व जन्मतिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- (ii) आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे Digilocker Account के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है।

B. INSTRUCTIONS FOR DIGILOCKER ACCOUNT:-

- (i) OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही Digilocker का Meri Pehchan Portal खुल जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास Digilocker का Account उपलब्ध है, तो Digilocker Account का Consent OAMS को देते हुए Sign in करना होगा एवं अगर आवेदक के पास Digilocker का Account उपलब्ध नहीं है, तो New Sign up करते हुए Digilocker Account Create कर सकते हैं एवं Digilocker का Consent OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- (ii) यदि आवेदक ने पहले ही डिजिलॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और OAMS को access दी है, तो वे सीधे वहां से उन दस्तावेजों को OAMS से Link कर सकते हैं।
- (iii) यदि आवेदक Digilocker के Portal के माध्यम से Proceed नहीं करना चाहते हो तो Browser के Back (←) Button पर Click करने के उपरान्त Online Application का Portal खुल जायेगा। Online Application Portal पर Login Credentials Enter करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

C. INSTRUCTIONS FOR PROFILE CREATION:-

प्रोफाइल निर्माण के लिए छह चरण हैं। वे इस प्रकार हैं:-

Step 1: Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)

Step 2: Address Information (पता संबंधी जानकारी)

Step 3: Other Information (अन्य जानकारी)

Step 4: Qualification Information (योग्यता संबंधी जानकारी)

Step 5: Experience Information (अनुभव संबंधी जानकारी)

Step 6: Upload Photo / Signature and Profile Lock (अपलोड फोटो/हस्ताक्षर प्रोफाइल लॉक)

- Step 1:** व्यक्तिगत जानकारी : इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण (UR, EWS, BC, EBC, SC एवं ST)। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
- Step 2:** पता संबंधी जानकारी : इस चरण में आवेदक को अपना स्थायी पता भरना होगा, जैसे उसका पता, राज्य, जिला और पिन कोड। फिर आवेदक को पत्राचार का पता देना होगा। यदि स्थायी पता पत्राचार के पते के समान है, तो आवेदक Same as Above पर Click कर सकता है। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
- Step 3:** अन्य जानकारी : इस चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक कार्यवाही या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
- Step 4:** योग्यता संबंधी जानकारी : इस चरण में आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक कम से कम 10वीं एवं बारहवीं से आगे तक जानकारी प्रदान कर सकता है। इस चरण में शैक्षणिक योग्यता (ड्रॉप-डाउन में उपलब्ध विकल्प में से चुनना होगा), शैक्षणिक योग्यता का नाम, विषय, राज्य, बोर्ड/विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (Completed or Appearing), शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्णता की तिथि, प्रयास (Attempt), प्राप्त अंक, कुल अंक, प्रतिशत (उन विश्वविद्यालय के अनुसार जहाँ आवेदक ने अध्ययन किया है), शैक्षिक महीनों की संख्या, वर्ग या श्रेणी, मोड (Distance or Regular), अनिवार्य विषय, वैकल्पिक विषय, सीट या रोल संख्या और उत्तीर्णता का वर्ष अंकित करना होगा। एक योग्यता का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
- Step 5:** अनुभव संबंधी जानकारी : इस चरण में यदि आवेदक के पास कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव है, तो उसे हाँ पर क्लिक करना होगा अन्यथा नहीं पर Click करें। यदि आवेदक हाँ का चुनाव करते हैं, तो आवेदक को अपने कार्यानुभव का विवरण (वर्तमान/पूर्व), नियोजन का प्रकार, विभाग जहाँ वे कार्यरत हैं/थे, बिहार सरकार के अन्तर्गत संस्थान का नाम, पदनाम, ग्रेड पे, मूल वेतन एवं किस तिथि से कार्यरत हैं, का विवरण अंकित करना होगा। एक कार्य अनुभव का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।
- Step 6:** फोटो एवं हस्ताक्षर एवं प्रोफाइल लॉक: इस चरण में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी, जिससे वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और एक हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर फोटो का आकार 20kb से अधिक नहीं होना चाहिए एवं Width 150-220 Pixel के बीच और Height 250-320 Pixel के बीच होनी चाहिए एवं उसके बाद Save बटन पर Click करना होगा। अंत में आवेदक को check-box पर Click करके इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है एवं उसके बाद आवेदक Submit और Lock Profile पर Click करना होगा।

नोट:-

- One Time Registration (OTR) के उपरान्त Profile Tab के अन्तर्गत भरी गयी प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी अपने Profile को Unlock करते हुए त्रुटिपूर्ण सूचनाओं को सही करते हुए Update कर सकते हैं।
- Profile Creation के बाद संबंधित विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन Submit कर देने के उपरान्त आवेदन में अंकित किसी सूचना में संशोधन का प्रावधान नहीं है। Lock Profile पर Click करने के बाद Profile Lock होने के बाद ही आवेदक को Active Advertisements की लिस्ट New Advertisement Tab के अन्दर दिखेंगे।
- Profile Lock होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए Apply कर देते हैं, तो उस विज्ञापन में दिये गये किसी भी प्रविष्टि (Details) में कोई भी सुधार/परिवर्तन नहीं होगा।

D. INSTRUCTIONS FOR NEW APPLICATION

- आवेदक का Profile Create होने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेगा, जिसमें Pay Fees Button Click करने पर एक Confirmation Pop-up आयेगा, जिसमें Terms & Conditions Accept करने के बाद पद चयन का विकल्प आयेगा, जिसमें

18

अभ्यर्थी को पद का चयन करना होगा एवं उसके पश्चात् चयनित पद का Payment Calculate होकर Payable Amount में दिखेगा एवं उसके नीचे Online Payment और SBI Payment Gateway का चयन कर Preview करने के पश्चात् Confirm & Pay Option पर Click कर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। Successful Payment होने के बाद New Application Tab में उक्त विज्ञापन के Apply Button पर click करने पर Application Form खुलेगा। जिसमें Proceed to Application Button पर click करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं Submit Application Button पर click करके Application Form Submit करेंगे।

- (ii) अभ्यर्थी अपने कोटि, आवेदित पद, विषय, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। यदि आपने पद एवं विषय का चयन करने के पश्चात् भुगतान (Payment) कर दिया है, तो इसके बाद आप किसी भी चयनित पद/विषय को हटाने अथवा किसी नए पद/विषय का चयन करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि आप अपने चयनित पद/विषय में परिवर्तन या कोई नया पद/विषय जोड़ना चाहते हैं, तो आपको अपना भुगतान Cancel कर पुनः संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
- (iii) Application Form एवं Payment की प्रक्रिया पूर्ण होने पर My Account Tab पर Click करने के बाद आवेदक द्वारा Apply किये गये Advertisements दिखेंगे, जिसके Action Column में Application Form Print, Cancel Application, Payment History का विकल्प उपलब्ध होगा।
- (iv) यदि किसी आवेदक के Application Form में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वे अपना आवेदन Cancel करके नए सिरे से Application Form भरना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:-

- अगर अभ्यर्थी ने किसी भी विज्ञापन के लिए भुगतान किया हुआ है तो उनका Profile Lock रहेगा एवं उस विज्ञापन के Final Application Submit होने के बाद ही Profile किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए Unlock होगा। अगर अभ्यर्थी Profile में किसी Details को Change/Update करने के बाद ही Application Submit करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी को पहले अपना Payment Cancel करना होगा। Application Form में Proceed to Application Button Click करने के बाद Form में सबसे नीचे Cancel Payment Button का Option उपलब्ध होगा।
- Cancel Payment या Application Form Cancel करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

- (v) यदि आपने भुगतान (Payment) करने के पश्चात् Final Application Form Submit नहीं किया है, तो आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में विज्ञापन के अंतर्गत आपकी अभ्यर्थिता (Candidature) मान्य नहीं होगी तथा आपको इस विज्ञापन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- (vi) यदि आपने Payment किया है और बैंक द्वारा आपके खाते से राशि कट गई है परंतु Apply बटन के स्थान पर Check Payment Status बटन प्रदर्शित हो रहा है, तो Check Payment Status बटन पर क्लिक करें। यह आपके भुगतान की बैंक से पुष्टि (Verification) करेगा। यदि Payment सफल पाया जाता है, तो Apply बटन प्रदर्शित होगा और आप आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। यदि भुगतान सफल नहीं पाया जाता है, तो Pay Fee बटन प्रदर्शित होगा, जिसके माध्यम से आप पुनः भुगतान कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
- (vii) यदि आपने आवेदन पत्र के लिए एक से अधिक बार भुगतान किया है, तो आप अपने बैंक के माध्यम से Chargeback Claim कर अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकते हैं। Cancelled Payment अथवा Cancelled Application से संबंधित कोई भी भुगतान Chargeback Claim के लिए मान्य नहीं होगा।

E. INSTRUCTIONS

- (i) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित नहीं करेंगे।



- (ii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (iv) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (v) इस विज्ञापन के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

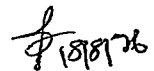
F. MY ACCOUNT TAB

- (i) यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड Change करना है, तो आवेदक My Account Tab में उपलब्ध विकल्प से कर सकता है।
- (ii) ऑनलाइन भुगतान करने, ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद Profile में किया गया कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (iv) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Application Number, Application ID एवं Bar Code अंकित है। हार्ड कॉपी पर Application Number, Application ID एवं Bar Code में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (v) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को My Account Tab से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

Note:- यदि आवेदक को OTR एवं Application Form भरने में कोई शिकायत है, तो Grievance Tab में उसका विवरण दे सकते हैं।

11. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः My Account Tab पर Click करेंगे, तत्पश्चात् Action के अन्तर View Option पर Click करने पर Application Print का Option दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
- 12. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
- 13. शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
- 14. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- 15. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- 16. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएँ। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।



परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

प्रपत्र-1

वर्ग 1 से 5 तक अध्ययन हेतु सामान्य विषय के लिए कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदों की अधियाचना

वर्ग 1 से 5 तक अध्ययन हेतु सामान्य विषय के लिए कोटिदार विद्यालय अध्यापक के पदों की अधियाचना																																							महिलाओं को 50 प्रतिशत की दर से सीजित आरक्षित पद								सामान्य प्रशासन विभाग के राज्यस्तरीय संख्या 13082 दिनांक 12.10.2017 एवं 2650 दिनांक 18.02.2018 के आदेशों में सीजित आरक्षण के अनुसार आवंटित पद							
क्र.सं.	प्रमाणिकता	विज्ञापन का नाम	आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की संख्या	बैकलॉग रिजिट							बाजू रोस्टर में अनुपातिक पद							कुल रिजिट पद (बैकलॉग रिजिट+बाजू रोस्टर में अनुपातिक पद)																					कुल															
				SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC (RF)	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	VI	DD	OH	MD	Total	स्वायत्तता सेनापति के पदों/सीजित/भा. वि.प. के लिए आरक्षित पद																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																
1	पटना	पटना	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
2		मालमदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
3		भोजपुर	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
4		धनुषा	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
5		रोहतास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
6	सारण	कौशुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
7		सारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
8		सिवान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
9		गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
10		मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
11		पूर्वी चम्पारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
12		पश्चिम चम्पारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
13		सीतामढ़ी	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
14		सिन्धु	341	0	0	0	0	0	0	6	3	3	0	2	0	47	61	6	3	3	0	2	0	47	61	3	1	1	0	23	28	0	0	1	1	2	1	0																
15		बैराली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
16	दरभंगा	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
17		मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
18		समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
19	कोशी	सहरसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
20		मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
21		सुपौल	2097	0	0	0	0	0	0	73	4	82	55	14	46	184	458	73	4	82	55	14	46	184	458	36	2	41	27	23	92	221	4	4	3	3	14	7																
22		पूर्वमिर्जा	3518	193	0	0	53	0	246	121	0	115	84	20	67	261	668	314	0	115	137	20	67	261	914	60	0	57	42	33	130	322	7	6	6	7	26	14																
23		अतरिया	1525	27	1	0	13	3	44	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	0	13	3	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
24		किशनगंज	1089	0	0	0	0	0	0	64	3	8	0	5	15	55	150	64	3	8	0	5	15	55	150	32	1	4	0	7	27	71	2	2	1	1	6	3																
25		फरिदाद	1933	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	35	21	74	209	79	0	0	0	35	21	74	209	39	0	0	0	10	37	86	2	3	2	2	9	4																
26	भागलपुर	भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
27		सहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
28		मुर्शि	1022	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	0	59	236	590	156	18	75	68	0	59	236	612	69	7	37	34	29	118	294	6	6	5	6	23	12																
29		लाडिया	2550	18	4	0	0	0	22	138	14	75	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
30		बेगुसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
31		सलीमगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
32		रोहतास	1359	0	0	0	0	0	0	72	12	29	0	31	0	167	311	72	12	29	0	31	0	167	311	13	0	5	0	5	28	51	1	1	1	2	5	2																
33	मगध	जमुई	1084	0	0	0	0	0	0	27	0	11	0	3	11	56	108	27	0	11	0	3	11	56	108	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
34		गया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
35		जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
36		औरंगाबाद	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
37		अररु	785	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
38	मधवा	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
39	कुल योग			239	5	0	66	4	314	580	38	323	237	110	239	1224	2751	819	43	323	303	114	239	1224	3065	288	18	159	118	117	610	1310	27	27	25	27	106	53																

DEPUTY SECRETARY
EDUCATION DEPARTMENT

[illegible]

(150)

DEPUTY SECRETARY
LOCATION DEPARTMENT

क्र.सं.	पदनाम	विभाग का नाम	कुल के सदस्य सं. के अनुसार	शैक्षणिक विभाग															आयु वर्गों में अनुपात पर															शुद्ध शिक्षण पद (शैक्षणिक विभाग) आयु वर्गों में अनुपात पर															शैक्षणिक विभाग के 50 प्रतिशत की दर में शैक्षणिक अधिकारी पद															शैक्षणिक अधिकारी पद के अनुसार शैक्षणिक विभाग के 50 प्रतिशत की दर में शैक्षणिक अधिकारी पद																																																																													
				SC						ST						EBC						BC						WBC						Total						SC						ST						EBC						BC						WBC						Total						SC						ST						EBC						BC						WBC						Total						VI						DD						OH						MD						Total					
				SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	VI	DD	OH	MD	Total																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	2																																																																																																																		

200-2-2

20

DEPUTY SECRETARY
EDUCATION DEPARTMENT

DEPUTY SECRETARY
EDUCATION DEPARTMENT

अनुलग्नक-1

वर्ग 9 से 10 तक अध्ययन हेतु विषयवार कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदों की अधियाचना

क्र.सं.	विषय का नाम	नैकतोंम रिक्ति						घालू रोस्टर में कोटिवार रिक्त पद								कुल रिक्त पद								महिलाओं के क्षेतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद								दिव्यांगता के पद (समानांतर आरक्षण)						स्वतंत्रता सेनानी के माता/पत्नी/पुत्री/पुत्र
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
		SC	ST	EBC	BC	WBC	TOTAL	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	TOTAL	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	TOTAL	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	TOTAL	VI	DD	OH	MD	TOTAL			
1	हिन्दी	15	2	2	2	2	23	84	11	31	31	21	22	138	338	99	13	33	33	23	22	138	361	27	2	11	10	6	49	105	3	2	3	4	12	4		
2	अंग्रेजी	115	8	7	6	2	138	213	8	44	31	9	30	223	558	328	16	51	37	11	30	223	696	75	0	12	8	7	76	178	7	4	7	4	22	14		
3	विज्ञान	9	3	9	6	4	31	76	6	55	24	32	33	206	432	85	9	64	30	36	33	206	463	22	0	16	6	8	72	124	2	4	6	5	17	8		
4	गणित	8	1	9	16	8	42	73	9	68	61	43	39	235	528	81	10	77	77	51	39	235	570	22	0	20	19	10	83	154	3	6	6	7	22	9		
5	साध विज्ञान	3	1	20	10	2	36	152	5	100	53	44	58	308	720	155	6	120	63	46	58	308	756	52	0	34	16	16	105	223	5	4	8	10	27	12		
6	संस्कृत	81	7	61	11	16	176	28	2	26	14	5	10	61	146	109	9	87	25	21	10	61	322	7	0	7	2	1	23	40	2	0	2	1	5	4		
7	उर्दू	205	13	27	34	8	287	133	7	29	49	7	24	124	373	338	20	56	83	15	24	124	660	44	0	6	13	4	36	103	3	1	2	7	13	6		
8	सांख्यिक शिक्षा	1	0	0	2	0	3	7	2	7	4	1	2	21	44	8	2	7	6	1	2	21	47	0	0	1	0	0	4	5	2	1	1	0	4	1		
9	संगीत	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0		
	कुल	437	35	135	87	42	736	766	50	362	267	162	218	1316	3141	1203	85	497	354	204	218	1316	3877	249	2	107	74	52	448	932	28	22	35	38	123	58		

N P

प्रपत्र-1

वर्ग 09 से 10 तक अध्ययन हेतु हिन्दी विषय के लिए कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदों की अध्यायना

वर्ग 09 से 10 तक अध्ययन हेतु हिन्दी विषय के लिए कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदा का आवेदनपत्र																																						
क्र.सं.	वर्ग	जिला का नाम	पुरुषों के संदर्भ पदों में काल्पनिक अनुपात	वैकल्पिक विधित						आर्य संदर्भ में अनुपात पद						कुल शिफ्ट पद (वैकल्पिक विधित+आर्य संदर्भ में अनुपात पद)						राज्य/प्रशासन विभाग के पद (राज्य-2242 दिनांक-15.02.2016 एवं राज्य/प्रशासन 943 दिनांक-20.01.2016 में वर्गीकृत आर्य शिफ्ट पदों को 35 प्रतिशत की दर से सीमित कर दिया है (कुल शिफ्ट पदों में 35 प्रतिशत)						राज्य/प्रशासन विभाग के शिफ्ट राज्य 13002 दिनांक 10.02.17 एवं 22.03 दिनांक 18.02.2016 के आर्य शिफ्ट में अनुपात आर्य शिफ्ट पद						राज्य/प्रशासन विभाग के शिफ्ट/प्रशासन/राज्य शिफ्ट/प्रशासन के लिए आवेदन पद				
				वैकल्पिक विधित						आर्य संदर्भ में अनुपात पद						कुल शिफ्ट पद (वैकल्पिक विधित+आर्य संदर्भ में अनुपात पद)						राज्य/प्रशासन विभाग के पद (राज्य-2242 दिनांक-15.02.2016 एवं राज्य/प्रशासन 943 दिनांक-20.01.2016 में वर्गीकृत आर्य शिफ्ट पदों को 35 प्रतिशत की दर से सीमित कर दिया है (कुल शिफ्ट पदों में 35 प्रतिशत)						राज्य/प्रशासन विभाग के शिफ्ट राज्य 13002 दिनांक 10.02.17 एवं 22.03 दिनांक 18.02.2016 के आर्य शिफ्ट में अनुपात आर्य शिफ्ट पद										
				SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC (RF)	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	VI		DD	OH	MD	Total
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	पटना	पटना																																				
2		नालंदा	227	8	1	0	2	0	11	2	0	0	2	0	1	1	6	10	1	0	4	0	1	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		भोजपुर																																				
4		बक्सर																																				
5		रोहतास																																				
6		कैमूर																																				
7	राजेश	राजेश																																				
8		राजेश																																				
9		राजेश																																				
10		राजेश																																				
11		राजेश																																				
12		राजेश																																				
13	राजेश	राजेश	380	2	0	2	0	2	6	0	0	1	0	1	0	0	2	2	0	3	0	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		राजेश	454	0	0	0	0	0	0	9	0	13	25	0	3	25	75	9	0	13	25	0	3	25	75	3	0	5	9	1	9	27	1	0	1	1	3	2
15		राजेश																																				
16		राजेश																																				
17		राजेश																																				
18		राजेश																																				
19	राजेश	राजेश	265	0	0	0	0	0	0	9	3	8	0	0	0	14	34	9	3	8	0	0	0	14	34	3	1	3	0	0	5	12	0	0	0	1	1	1
20		राजेश	40	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5	8	1	0	1	0	0	1	5	8	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
21		राजेश																																				
22		राजेश																																				
23		राजेश																																				
24		राजेश																																				
25	राजेश	राजेश																																				
26		राजेश																																				
27		राजेश																																				
28		राजेश																																				
29		राजेश																																				
30		राजेश																																				
31	राजेश	राजेश	308	0	0	0	0	0	0	10	4	3	0	6	3	12	38	10	4	3	0	6	3	12	38	4	1	1	0	1	4	11	0	0	0	0	0	0
32		राजेश																																				
33		राजेश																																				
34		राजेश																																				

वर्ग 09 से 10 तक अध्ययन हेतु अंग्रेजी विषय के लिए कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदों की अध्यायचना

[illegible]

प्रपत्र-1

वर्ग 09 से 10 तक अध्ययन हेतु संस्कृत विषय के लिए कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदों की अधियाचना

क्र.सं.	प्रपत्र सं.	विभाग का नाम	कुल के रोस्टर वही है व्यवहार अधिनियम 1947	वैयक्तिक विवरण						मातृ रोस्टर में अनुपात पद						कुल रिक्त पद (वैयक्तिक विवरण+मातृ रोस्टर में अनुपात पद)										सामान्य प्रशासन विभाग के पद (मातृ-2347 दिनांक-15.02.2018 एवं राज्य शाखा 903 दिनांक-20.01.2018 में उत्तरांचल प्रायोजन के अन्तर्गत पदों को 35 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति पर भुगतान पर 35 प्रतिशत)										सामान्य प्रशासन विभाग के पद (मातृ शाखा 13002 दिनांक 12.10.2017 एवं 2526 दिनांक 18.02.2018 के अन्तर्गत के प्रतिनियुक्ति पर अनुपात अर्थात् पद)										समाप्त होने वाली के लिए/पेंशन/भा. वि./अन्य के लिए आरक्षण पद
				SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC (RF)	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	VI	DD	OH	MD	Total									
1	7	पटना						0							0									0						0							0									
2		पटना						0							0									0						0						0										
3		पटना						0							0									0						0						0										
4		पटना						0							0									0						0						0										
5		पटना						0							0									0						0						0										
6		पटना						0							0									0						0						0										
7		पटना						0							0									0						0						0										
8		पटना						0							0									0						0						0										
9		पटना						0							0									0						0						0										
10		पटना						0							0									0						0						0										
11		पटना						0							0									0						0						0										
12		पटना						0							0									0						0						0										
13		पटना	72	17	1	15	4	2	39	1	0	1	1	0	0	4	7	18	1	16	5	2	0	4	46	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0								
14		पटना	6	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
15		पटना						0							0									0						0						0										
16		पटना						0							0									0						0						0										
17		पटना						0							0									0						0						0										
18		पटना						0							0									0						0						0										
19		पटना						0							0									0						0						0										
20		पटना	07	13	1	11	1	3	29	4	0	4	3	0	2	10	23	17	1	15	4	3	2	10	52	1	0	1	1	0	4	7	1	0	0	0	1	0								
21		पटना	49	0	0	0	0	0	0	4	0	4	2	1	2	10	23	4	0	4	2	1	2	10	23	1	0	1	0	0	4	6	0	0	1	0	1	0								
22		पटना	59	5	1	5	0	1	12	2	0	1	1	0	0	5	9	7	1	6	1	1	0	5	21	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1								
23		पटना	54	9	1	3	0	2	15	4	0	5	1	1	0	11	22	13	1	8	1	3	0	11	37	1	0	2	0	0	4	7	0	0	0	1	1	1								
24		पटना	15	1	0	2	1	0	4	1	1	2	1	1	1	5	12	2	1	4	2	1	1	5	16	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1								
25		पटना	01	13	0	10	3	3	29	3	0	3	2	0	2	6	16	16	0	13	5	3	2	6	45	1	0	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0								
26		पटना						0							0									0						0						0										
27		पटना						0							0									0						0						0										
28		पटना	41	3	1	0	0	0	4	3	0	1	0	2	0	0	6	6	1	1	0	2	0	0	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0								
29		पटना						0							0									0						0						0										
30		पटना						0							0									0						0						0										
31		पटना						0							0									0						0						0										
32		पटना	12	2	0	1	2	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	3	1	1	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
33		पटना						0							0									0						0						0										
34		पटना	120	17	2	13	0	5	37	5	0	5	3	0	3	10	26	22	2	18	3	5	3	10	63	2	0	2	1	1	4	10	0	0	1	0	1	1								
35		पटना						0							0									0						0						0										
36		पटना						0							0									0						0						0										
37		पटना						0							0									0						0						0										
38		पटना						0							0									0						0						0										
39		पटना		81	7	61	11	16	176	28	2	26	14	5	10	61	146	109	9	87	25	21	10	61	322	7	0	7	2	1	23	40	2	0	2	1	5	4								

(N) (P)



प्रपत्र-1

वर्ग 09 से 10 तक अध्ययन हेतु शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदों की अधियाचना

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	विभाग का नाम	पद के रोस्टर पदों में अनुभवी अधिकारी हैं/नहीं	वैयक्तिक विवरण						चालू रोस्टर में अनुभवी पद						पूरा रिक्त पद (वैयक्तिक विवरण+चालू रोस्टर में अनुभवी पद)						सामान्य प्रशासन विभाग के पद (संख्या-2342 दिनांक-15.02.2016 एवं राज्य सरकार 963 दिनांक-20.01.2016 में उत्तराखण्ड प्रशासन के अंतर्गत अधिसूचना क्र. 25 दिनांक 01.02.2016 के अंतर्गत में विभिन्न आदेशों के अनुसार आदेशित पद						सामान्य प्रशासन विभाग के पद (संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 एवं 2526 दिनांक 18.02.2018 के अंतर्गत में विभिन्न आदेशों के अनुसार आदेशित पद						रक्षाभारत सेनानी के पदों/पदों/पदों/पदों के लिए आवेदन पद				
				SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC (RF)	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	VI		DD	OH	MD	Total
1	पटना	पटना	59	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	4	1	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
2		महसना	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		भोजपुर						0								0	0	0	0	0	0	0	0	0														
4		बक्सर						0								0	0	0	0	0	0	0	0	0														
5		रोहतास						0								0	0	0	0	0	0	0	0	0														
6		सुपुल						0								0	0	0	0	0	0	0	0	0														
7	सागर	सागर					0								0	0	0	0	0	0	0	0	0															
8		शिवन	42	1	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		मोहम्मदपुर							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0														
10		मुजफ्फरपुर							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0														
11		पूर्वी चम्पारन	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	मिर्जापुर	परियचर प्रशासन						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
13		सीतामढ़ी						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
14		मिर्जापुर						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
15		दीनपुर	30	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	5	1	0	0	0	1	0	3	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	
16		बक्सर						0								0	0	0	0	0	0	0	0	0														
17	बक्सर	महुवा	11	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	2	7	16	2	1	3	1	0	2	7	16	0	0	1	0	0	2	3	1	0	0	0	1	1
18		समस्तीपुर						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
19		राहगाँव						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
20		मधेपुरा						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
21		सुपुल	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
22	सुपुल	सुपुल						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
23		अररिया						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
24		सिन्धुगढ़						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
25		कटिहार						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
26		भागलपुर	भागलपुर	31	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4	1	0	1	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	बांझ		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	सुपुल							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
29	खगड़िया							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
30	मेनुहास							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
31	सुपुल	सखीराम					0							0	0	0	0	0	0	0	0	0																
32		सुपुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33		खगड़िया						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
34		सुपुल						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
35		मगध	मगध					0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
36	जहानाबाद		15	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	4	0	1	1	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	औरंगाबाद		13	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	अररिया							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
39	वाराणसी							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0															
40	सुपुल	सुपुल		1	0	0	2	0	3	7	2	7	4	1	2	21	44	8	2	7	6	1	2	21	47	0	0	1	0	0	4	5	2	1	1	0	4	1

Q P

Q. 12

[illegible]

अनुलग्नक-2

वर्ग 11 से 12 तक अध्ययन हेतु विषयवार कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदों की अधियाचना

क्र.सं.	जिला का नाम	बैकलीग सिबि						मातृ रोटर में अनुमान्य पद						कुल रिक्त पद (बैकलीग सिबि+मातृ रोटर में अनुमान्य पद)						सामान्य प्रशासन विभाग के पद राखा 2342 दिनक- 15.02.2016 एवं राकस्य राखा 963 दिनक- 20.01.2016 में उत्तीर्ण प्राप्तान के अन्यातम महिसखी को 35 प्रतिशत की दर से दीपिज आरक्षित पद (कुल रिक्त पद का 35 प्रतिशत)						सामान्य प्रशासन विभाग के रकस्य राखा 13002 दिनक 12.10 2017 एवं 2520 दिनक 18.02.2010 के आरक्षित में दीपिज आरक्षण के अनुसार आरक्षित पद						समस्त रकस्य के प्रतिशत				
		SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	VI	DD		OH	MD	Total	
1	3	5	8	7	8	8	18	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1	जमु विज्ञान	48	3	16	10	0	77	96	11	52	33	24	32	124	372	144	14	68	43	24	32	124	449	33	0	13	7	5	39	97	2	3	5	4	14	7
2	वनरपति	273	21	206	50	53	603	102	8	89	29	16	46	185	475	375	29	295	79	69	46	185	1078	30	0	22	6	7	60	125	4	4	5	4	17	11
3	सामान्य	605	42	585	329	119	1680	361	20	371	217	63	183	800	2015	966	62	956	546	182	183	800	3695	124	0	126	71	58	279	658	19	20	22	20	81	41
4	गणित	165	12	11	13	11	212	186	11	31	18	21	27	151	445	351	23	42	31	32	27	151	657	59	0	7	1	4	49	120	4	7	5	3	19	9
5	भौतिक	417	26	323	122	90	978	183	11	152	49	36	62	287	780	600	37	475	171	126	62	287	1758	58	0	45	11	13	96	223	7	11	9	6	33	16
6	अर्थशास्त्र	1	0	2	2	1	6	18	1	21	14	10	10	58	132	19	1	23	16	11	10	58	138	1	0	5	2	0	12	20	0	2	4	0	6	2
7	भूगोल	10	1	5	5	3	24	24	2	17	10	12	15	72	152	34	3	22	15	15	15	72	176	4	0	0	1	0	18	23	1	2	1	1	5	2
8	इतिहास	16	1	20	12	2	51	79	8	67	27	50	52	274	557	95	9	87	39	52	52	274	608	25	0	21	7	14	89	156	3	4	8	7	22	11
9	गुरु विज्ञान	82	6	42	23	7	160	67	2	41	18	11	16	103	258	149	8	83	41	18	16	103	418	14	0	8	3	1	32	58	2	2	6	1	11	5
10	संगीत	145	10	114	40	21	330	73	11	70	32	18	27	175	406	218	21	184	72	39	27	175	736	18	0	19	5	2	59	103	3	6	4	3	16	9
11	दर्शन शास्त्र	16	0	20	4	1	41	14	0	9	2	0	1	13	39	30	0	29	6	1	1	13	80	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	3	1
12	राजनीति शास्त्र	80	11	30	24	12	157	139	11	34	15	39	42	228	508	219	22	64	39	51	42	228	665	46	1	9	4	9	70	139	6	8	5	5	24	10
13	मनो विज्ञान	257	18	199	91	55	620	85	7	72	34	19	33	160	410	342	25	271	125	74	33	160	1030	23	0	17	8	6	47	101	6	3	5	3	17	5
14	समाज शास्त्र	24	1	11	9	2	47	51	5	23	17	11	18	94	219	75	6	34	26	13	18	94	266	12	0	6	3	1	29	51	0	5	4	1	10	4
15	लेखा शास्त्र	3	0	2	1	0	6	7	2	7	5	5	4	30	60	10	2	9	6	5	4	30	66	0	0	0	0	0	5	5	1	0	4	0	5	1
16	व्यवसायिक अध्ययन	35	0	5	5	5	50	33	3	6	6	5	4	26	83	68	3	11	11	10	4	26	133	4	0	0	0	0	3	7	0	4	1	0	5	3
17	उद्यमशीलता	5	0	1	1	1	8	15	2	2	4	2	3	22	50	20	2	3	5	3	3	22	58	2	0	0	0	0	4	6	2	0	0	0	2	1
18	कम्प्यूटर विज्ञान	5	2	6	3	6	22	28	5	36	48	38	17	213	385	33	7	42	51	44	17	213	407	7	0	11	15	4	74	111	2	3	5	3	13	10
19	अंग्रेजी	401	22	82	23	23	551	257	13	86	38	25	38	313	770	658	35	168	61	48	38	313	1321	86	0	26	12	5	106	235	6	8	9	6	29	17
20	हिन्दी	118	9	42	44	10	223	136	10	46	30	31	48	215	516	254	19	88	74	41	48	215	739	43	0	8	6	11	71	139	3	9	4	4	20	9
21	संस्कृत	197	11	150	41	43	442	57	10	53	27	9	22	126	304	254	21	203	68	52	22	126	746	12	0	11	4	2	36	65	3	3	3	2	11	7
22	उर्दू	223	14	20	113	17	387	134	8	45	66	11	43	183	490	357	22	65	179	28	43	183	877	36	0	13	15	6	58	128	2	6	7	4	19	9
	कुल	3126	210	1892	965	482	6675	2145	161	1330	739	456	743	3852	9426	5271	371	3222	1704	938	743	3852	16101	637	1	367	181	148	1237	2571	78	111	116	77	382	190

D

[illegible]

प्रपत्र-2

वर्ग 11 से 12 तक अध्ययन हेतु बसामुख ज्ञान विषय के लिए कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदों की अभियागता

[illegible]

du C

क्र.सं.	प्रम.सं.	जिला का नाम	कुल 35 सीटों पर जी.एम.सी.सी. के लिए कुल मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या	शैक्षणिक विभाग						स्वास्थ्य विभाग						ग्रामीण विकास विभाग						महानगर विकास विभाग						ग्रामीण विकास विभाग						ग्रामीण विकास विभाग						ग्रामीण विकास विभाग									
				शैक्षणिक विभाग						स्वास्थ्य विभाग						ग्रामीण विकास विभाग						महानगर विकास विभाग						ग्रामीण विकास विभाग						ग्रामीण विकास विभाग						ग्रामीण विकास विभाग									
				SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																

कां 11 से 12 तक अग्रपंक्ति हेतु भूगोल विषय के लिए कोटिबद्ध विद्यार्थियों के पदों की अधिसूचना																														सामान्य प्रशासन विभाग की परीक्षा-2024 दिनांक-15.02.2024 एवं सहायक सचिव 003 दिनांक-20.01.2024 से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची										सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक सचिव 13002 दिनांक 12.10.2017 एवं 2520 दिनांक 18.02.2018 के आदेशों से हीरोज आदेशों के अनुसार अधिसूचित पद									
क्र.सं.	प्रश्नसं.	जिला का नाम	प्रश्न के संदर्भ में प्रत्येक उत्तर	ईकॉलॉजी विभाग						बायो रोस्टर में अनुमानित पद						कुल रिक्त पद (ईकॉलॉजी विभाग-बायो रोस्टर में अनुमानित पद)										सहायक प्रशासन विभाग के सहायक सचिव 13002 दिनांक 12.10.2017 एवं 2520 दिनांक 18.02.2018 के आदेशों से हीरोज आदेशों के अनुसार अधिसूचित पद																							
				SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	VI	OD	OH	MD	Total	सहायक सचिव की पदों/वर्गों/प्र. वि. वर्गों के लिए अधिसूचित पद											
1	1	पटना																																															
2	2	पटना	43	1	0	2	1	0	4	1	0	0	1	0	0	1	3	2	0	2	2	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3	3	पटना							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0												
4	4	पटना							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0												
5	5	पटना							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0												
6	6	पटना							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0												
7	7	पटना							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0												
8	8	पटना	71	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9	9	पटना							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0												
10	10	पटना	48	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	1	6	13	3	0	2	0	1	1	6	13	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0										
11	11	पटना	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12	12	पटना	80	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	6	10	3	0	0	0	0	1	6	10	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1	1										
13	13	पटना	107	1	0	1	1	0	3	3	0	2	3	1	1	3	13	4	0	3	4	1	1	3	16	1	0	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0	1	0										
14	14																																																

शर्त 11 से 12 तक अद्ययन हेतु इतिहास विषय के लिए कोटिधार विद्यालय अद्ययनक के पदों की अध्यायना																														समान्य प्रशासन विभाग के पद सहाय-2342 दिनांक-15/07/2018 एवं संकल्प संख्या 933 दिनांक-20/01/2018 से उत्प्रेषित अद्ययन के अन्तर्गत पहिलमको को 35 प्रशिक्षण की दर से सीनियर आदर्शिक पद (कुल रिक्त पद का 35 प्रतिशत)										सामान्य प्रशासन विभाग के सहाय सहाय 13062 दिनांक 12/10/2017 एवं 2526 दिनांक 18/03/2018 के अन्तर्गत से सीनियर आचार्य को अनुसार अर्पित पद									
क्र.सं.	प्रमोशन	शिक्षण का नाम	पद का श्रेणी पदों में स्तर पर निर्दिष्ट	रैकलिंग विभाग							पाठ्य श्रेणी में अनुमत्य पद							कुल विभाग पद (रैकलिंग विभाग-पाठ्य श्रेणी में अनुमत्य पद)							समान्य प्रशासन विभाग के पद सहाय-2342 दिनांक-15/07/2018 एवं संकल्प संख्या 933 दिनांक-20/01/2018 से उत्प्रेषित अद्ययन के अन्तर्गत पहिलमको को 35 प्रशिक्षण की दर से सीनियर आदर्शिक पद (कुल रिक्त पद का 35 प्रतिशत)							सामान्य प्रशासन विभाग के सहाय सहाय 13062 दिनांक 12/10/2017 एवं 2526 दिनांक 18/03/2018 के अन्तर्गत से सीनियर आचार्य को अनुसार अर्पित पद																	
				SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC (RF)	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	VI	DD	OH	MO	Total	रैकलिंग विभाग के पदों में स्तर पर निर्दिष्ट											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
1		पदना							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0												0												
2		नरसदा							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0												0												
3		भोजपुर	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
4		बगसर							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0												0												
5		रोहतास	168	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
6		धनुष							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0												0												
7		सावरा	207	6	0	8	8	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8	8	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8		शिवगढ़	201	4	0	6	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9		मोथमण्डल	217	2	0	2	0	2	6	13	1	14	0	4	5	26	63	15	1	16	0	6	5	26	69	5	0	5	0	2	9	21	0	1	1	0	2	2											
10		गुजरातपुर	283	0	0	0	0	0	0	4	0	3	2	0	2	9	20	4	0	3	2	0	2	9	20	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0											
11		पुर्ली बमराय	450	0	0	0	0	0	0	1	1	1	11	0	5	26	45	1	1	1	11	0	5	26	45	0	0																						

प्रपत्र-2
 वर्ष 11 से 12 तक अभ्यास हेतु वर्गों में शाला विषय के लिए कोटिगत विद्यालय अन्वयक के पदों की अभिलेखिका

क्र.सं.	प्रपत्र-2	विद्यालय का नाम	पूर्व के शाला पदों में प्रत्येक शाला पद	विकसित शाला						शाला शाला में अनुमानित पद						कुल शाला पद (विकसित शाला+शाला शाला में अनुमानित पद)						शाला शाला शाला के पद शाला-2342 शाला-1502 शाला एए शाला शाला 903 शाला-2001 शाला में प्रत्येक शाला के अन्वयक शाला शाला को 35 शाला शाला की 22 से शाला शाला पद (कुल शाला पद का 35 शाला शाला)						शाला शाला शाला के शाला शाला 13002 शाला 12 10 2012 एए 2526 शाला 1802 शाला के अन्वयक में शाला शाला के अनुमानित शाला पद						शाला शाला शाला के शाला/शाला/शाला शाला के शाला शाला पद					
				SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	VI	DD	OH	MD	Total		
1	1	1	1																																				
2	2	2	2																																				
3	3	3	3																																				
4	4	4	4																																				
5	5	5	5																																				
6	6	6	6																																				
7	7	7	7																																				
8	8	8	8																																				
9	9	9	9																																				
10	10	10	10																																				
11	11	11	11																																				
12	12	12	12																																				
13	13	13	13																																				
14	14	14	14																																				
15	15	15	15																																				
16	16	16	16																																				
17	17	17	17																																				
18	18	18	18																																				
19	19	19	19																																				
20	20	20	20																																				
21	21	21	21																																				
22	22	22	22																																				
23	23	23	23																																				
24	24	24	24																																				
25	25	25	25																																				
26	26	26	26																																				
27	27	27	27																																				
28	28	28	28																																				
29	29	29	29																																				
30	30	30	30																																				
31	31	31	31																																				
32	32	32	32																																				
33	33	33	33																																				
34	34	34	34																																				
35	35	35	35																																				
36	36	36	36																																				
37	37	37	37																																				
38	38	38	38																																				
39	39	39	39																																				

dh R

[illegible]

क्र.सं.	वर्ग/वर्ग	जिला का नाम	कुल के रोडर पंजी और अन्य पंजी	नैसर्गिक विविधता							वायु रोडर में अनुपात पद							कुल विविध पद (नैसर्गिक विविधता+वायु रोडर में अनुपात पद)							सामान्य प्रशासन विभाग को पद सत्यापन-2017 विभाग-16.02.2016 एच.एस.एस. सत्यापन-2017 विभाग-20.01.2016 में उपस्थित प्रशासन के अनुसार मंडलिक को 35 प्रशासन की दर से विविध आरक्षण पद (कुल विविध पद का 35 प्रतिशत)							सामान्य प्रशासन विभाग को सत्यापन सत्यापन 13.02.2016 विभाग-12.10.2017 एच.एस.एस. विभाग-18.02.2016 के अनुसार में विविध आरक्षण के अनुसार आरक्षण पद							सत्यापन सत्यापन के पद/पंजी/वा.वि. /नैसर्गिक विविधता के लिए आरक्षण पद
				SC	ST	ERC	BC	WBC	Total	SC	ST	ERC	BC	WBC	EW5	UR	Total	SC	ST	ERC	BC	WBC (RF)	EW5	UR	Total	SC	ST	ERC	BC	EW5	UR	Total	VI	DD	OH	MD	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
1		पटना							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		भारतवा	14	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	5	2	1	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		भोजपुर	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		बक्सर							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0		
5		रोहतास							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0		
6		कैमूर							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0		
7		सारन	39	4	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		सिमान							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0		
9		मोनासराज	18	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	5	1	1	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10		मुजफ्फरपुर							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0		
11		सुपौरी धमाराज	43	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	8	13	4	0	0	1	0	0	8	13	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0
12		सुपौरी धमाराज	44	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	5	3	0	1	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

[illegible]

क्र.सं.	पुनर्वसन	शिक्षा का मध्यम स्तर के शैक्षिक प्रदर्शन के मापदण्ड	शैक्षणिक प्रदर्शन																व्यक्तिगत गुण																सामाजिक प्रदर्शन																सामाजिक प्रदर्शन															
			शैक्षणिक प्रदर्शन								व्यक्तिगत गुण								सामाजिक प्रदर्शन								सामाजिक प्रदर्शन								सामाजिक प्रदर्शन																															
			SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC (RF)	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	VI	DD	OH	MD	Total	स्वतंत्रता संग्राम के दौरान/प्राथमिक शिक्षा के दौरान/प्राथमिक शिक्षा के दौरान																													
1	पटना	322	13	0	1	0	2	16	2	0	0	0	0	1	2	5	15	0	1	0	2	1	2	21	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0																											
2	मधुबनी	131	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
3	मधुबनी						0								0	0	0	0	0	0	0	0														0																														
4	मधुबनी						0								0	0	0	0	0	0	0	0														0																														
5	मधुबनी						0								0	0	0	0	0	0	0	0														0																														
6	मधुबनी						0								0	0	0	0	0	0	0	0														0																														
7	मधुबनी	270	23	0	16	12	1	52	1	0	2	1	0	1	3	8	24	0	18	13	1	1	3	60	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0																													
8	मधुबनी	234	11	0	1	4	0	16	1	0	1	0	0	0	2	12	0	2	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
9	मधुबनी	160	1	0	0	0	1	2	7	1	5	0	4	3	10	30	8	1	5	0	5	3	10	32	2	0	2	0	1	4	9	0	0	1	1	2	1																													
10	मधुबनी	173	1	1	1	0	0	3	1	0	1	0	0	1	2	5	2	1	2	0	0	1	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
11	मधुबनी	376	27	1	8	11	2	49	6	0	6	4	1	4	14	35	33	1	14	15	3	4	14	84	2	0	2	1	1	5	11	0	1	0	0	1	0																													
12	मधुबनी	274	19	0	6	11	1	37	8	0	9	7	2	5	15	46	27	0	15	18	3	5	15	83	3	0	3	2	2	5	15	1	1	0	0	2	1																													
13	मधुबनी	127	4	1	1	0	0	6	1	0	1	1	0	0	4	7	5	1	2	1	0	0	4	13	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0																													
14	मधुबनी	28	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	1	7	4	0	1	0	0	1</																																												

पृष्ठ-2
 तालिका 11 से 12 तक अभ्यर्थन हेतु संरक्षित विधियों के लिए कोटिदार विद्यालय अभ्यर्थक के पदों की अभिलेखिका

क्र.सं.	प्रभाग	विद्यालय का नाम	कुल संरक्षित पदों में अनुसूचित जाति (SC)	संरक्षित विधियाँ						आर्य समाज में अनुसूचित पद								मुसलमान पद (संरक्षित विधियाँ+आर्य समाज में अनुसूचित पद)								सामान्य प्रशासन विभाग के पद (आर्य समाज-2347 दिनांक-13.02.2016 एवं राज्य सरकार 903 दिनांक-20.01.2016 से पूर्व नियुक्त आर्य समाज के अभ्यर्थकों को 35 प्रतिशत की दर से सीमित आर्य समाज पद (कुल पद 35 प्रतिशत) के अंतर्गत)								सामान्य प्रशासन विभाग के सामान्य पदों 13062 दिनांक 12.10.2017 एवं 25.08.2018 दिनांक 18.02.2018 के अंतर्गत आर्य समाज के अनुसूचित अभ्यर्थक पद								संरक्षित पदों (संरक्षित विधियों/संरक्षित पदों/संरक्षित पदों के लिए अनुसूचित पद)
				SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC (RF)	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	VI	DD	OH	MD	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
1	पटना	पटना	105	15	1	9	2	4	31	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	9	2	4	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		मधुबनी	21	4	0	1	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0	1	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3		मधुबनी	49	7	1	3	0	2	13	0	0	1	0	0	0	0	1	7	1	4	0	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4		बक्सर							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0												0					
5		सोहागा	67	17	1	13	4	3	38	7	0	7	6	1	4	18	43	24	1	20	10	4	4	18	81	2	0	2	2	1	6	13	1	1	0	0	2	1				
6		जमुना							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0												0					
7	पटना	सहाय	32	4	0	2	1	1	8	1	0	1	0	0	0	2	4	5	0	3	1	1	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8		सिद्धांत							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0												0					
9		मोहासना	36	5	1	5	0	1	12	2	0	1	0	1	0	3	7	7	1	6	0	2	0	3	19	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0			
10	सिद्धांत	मुजफ्फरपुर	39	6	0	2	2	1	11	0	1	0	0	0	0	1	2	6	1	2	2	1	0	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11		पुर्वी बंगाल	65	9	1	7	6	2	25	0	0	1	0	0	0	0	1	9	1	8	6	2	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12		पश्चिम बंगाल	89	18	1	21	7	4	51	5	1	5	4	1	3	13	32	23	2	26	11	5	3	13	83	2	0	2	1	1	5	11	0	0	1	0	1	0				
13		सीतामढ़ी	23	5	0	3	0	1	9	0	0	1	0	0	0	2	3	5	0	4	0	1	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14		सिद्धांत	14	3	0	2	0	1	6	1	1	1	0	0	0	1	4	4	1	3	0	1	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15		बैरहाती	36	2	0	1	0	1	4	6	0	5	0	0	0	2	9	22	8	0	6	0	1	2	9	26	2	0	2	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0			
16	पटना	दरभंगा							0								0	0	0	0	0	0	0	0	0												0					
17		भुवनेश्वरी	66	1	0	0	1	0	2	2	0	1	1	1	1	5	11	3	0	1	2	1	1	5	13	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	0				
18		समस्तीपुर	49	8	1	2	0	2	13	2	0	1	1	0	1	2	7	10	1	3	1	2	1	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0				
19	कोशी	राष्ट्रवादी	0	3	0	3	1	0	7	0	1	0	0	1	0	2	4	3	1	3	1	1	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20		मधुबनी	33	4	0	4	0	1	9	5	0	5	0	1	1	7	19	9	0	9	0	2	1	7	28	2	0	2	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0			
21		पुर्वी	10	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	4	10	1	1	1	1	1	1	4	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1				
22		पुर्वी	28	5	0	5	0	1	11	1	0	2	1	0	1	4	9	6	0	7	1	1	1	4	20	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0			
23		अररिया	22	1	0	1	0	1	3	4	0	4	0	0	1	7	16	5	0	5	0	1	1	7	19	1	0	1	0	0	2	4	0	1	0	0	1	0				
24		किसानपुर	15	3	0	3	0	1	7	0	1	0	1	0	0	1	3	3	1	3	1	1	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	भागलपुर	कटिहार	47	10	0	5	2	2	19	1	0	1	0	0	0	1	3	11	0	6	2	2	0	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26		भागलपुर	37	7	0	3	1	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	1	2	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27		संख	36	6	1	2	0	1	10	2	0	1	0	0	0	0	3	8	1	3	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28		मुंगेर	8	2	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
29		छात्रावास	18	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	1	2	9	4	1	0	0	1	1	2	9	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
30		वेदपुरा	66	7	1	7	4	2	21	4	0	4	3	0	0	12	23	11	1	11	7	2	0	12	44	1	0	1	1	0	4	7	0	0	0	1	1	1				
31	मुंगेर	सहस्रनाथ	11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	3	8	1	1	1	1	0	1	3	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0				
32		संख	25	5	0	3	0	1	9	1	0	1	1	0	1	3	7	6	0	4	1	1	1	3	16	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0			
33		खुर्द	20	6	0	7	2	1	16	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	7	2	1	0	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34		संख	104	17	1	18	2	4	42	1	1	1	1	0	1	4	9	18	2	19	3	4	1	4	51	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0				
35		जहानाबाद	12	3	0	3	0	0	6	1	1	1	1	0	0	4	8	4	1	4	1	0	0	4	14	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1				
36		औरंगाबाद	20	1	0	2	1	0	4	2	0	2	2	0	1	5	12	3	0	4	3	0	1	5	16	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1				
37	मुंगेर	अखिल	5	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38		नवादा	64	12	1	12	4	2	31	3	0	4	2	1	2	9	21	15	1	16	6	3	2	9	52	1	0	1	0	0	3	5	0	0	0	1	1	0				
39		मुसलमान		197	11	150	41	43	442	57	10	53	27	9	22	126	304	254	21	203	68	52	22	126	746	12	0	11	4	2	35	65	3	3	3	2	11	7				

dh

P

55

पृष्ठ-2
घर्ष 11 से 12 तक अन्तर्गत हेतु चर्च विषय के लिए कोटिदार विद्यालय अध्यापक के पदों की अधिसूचना

क्र.सं.	प्र.क्र.	जिला का नाम	कुल के रोलेट रोलों में सम्मिलित अधिक विद्यु	पैकजिंग रिजल्ट						पास रोलेट में अनुपात वर						कुल रिक्त पद (पैकजिंग रिजल्ट+पास रोलेट में अनुपात वर)						सामान्य प्रवर्तन विभाग के पद (सदस्य-2542 दिनांक-19.02.2016 एवं शकस्य सङ्ग 883 दिनांक-20.01.2016 में सुसंयोजित प्रवर्तन के अन्तर्गत महिलाओं को 35 प्रतिशत की दर से रोलिंग आरक्षण वर (कुल रिक्त पद को 35 प्रतिशत)						सामान्य प्रवर्तन विभाग के शकस्य सङ्ग 13002 दिनांक 12.10.2017 एवं 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलेख में होरिल आरक्षण के अनुपात आरक्षण वर						स्वतंत्रता संग्रामी के पोता/पत्नी/भा.पि./पत्नी के लिए आरक्षण वर						
				SC	ST	EBC	BC	WBC	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	WBC	EWS	UR	Total	SC	ST	EBC	BC	EWS	UR	Total	VI	DD	OH	MD	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1		धरम	116	21	1	4	10	1	37	3	0	2	2	0	2	6	15	24	1	6	12	1	2	6	52	1	0	1	1	1	3	7	0	0	1	0	1	0		
2		पासपा	33	5	0	0	2	0	7	1	0	0	0	0	0	1	2	6	0	0	2	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		भोजपुर	48	6	0	0	1	0	7	2	0	0	0	0	0	2	4	8	0	0	0	1	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		दरभंगा	27	3	0	1	3	0	7	2	0	0	0	0	0	1	3	5	0	1	3	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		रोहतास	64	7	1	0	5	0	13	14	0	5	9	3	6	25	62	21	1	5	14	3	6	25	75	5	0	2	3	2	9	21	1	0	0	1	2	2		
6		कैमूर	25	3	0	0	3	0	6	3	0	0	1	0	0	0	4	6	0	0	4	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
7		सारन	64	14	1	1	10	0	26	2	0	4	2	0	2	6	16	16	1	5	12	0	2	6	42	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0		
8		शिवम							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0				
9		मोनासाग	35	2	0	0	1	1	4	7	0	5	5	1	4	14	36	9	0	5	6	2	4	14	40	2	0	2	2	1	5	12	0	0	1	0	1	1		
10		मुजफ्फरपुर	60	12	1	0	10	1	24	2	0	0	0	0	0	1	3	14	1	0	10	1	0	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		भूरी धमाल	117	17	1	5	12	0	35	1	0	1	1	0	1	3	7	18	1	6	13	0	1	3	42	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
12		महिलाय कामाखर	63	17	1	4	8	2	32	7	0	6	5	1	2	18	39	24	1	10	13	3	2	18	71	2	0	2	2	0	6	12	0	1	1	0	2	0		
13		सीतामढ़ी	22	6	1	0	5	1	13	3	0	2	2	1	0	0	8	9	1	2	7	2	0	0	21	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0		
14		शिवहर	9	2	0	1	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15		बैतली	48	2	0	0	1	0	3	9	1	0	8	2	1	13	34	11	1	0	9	2	1	13	37	3	0	0	3	0	5	11	0	0	1	0	1	1		
16		दरभंगा	137						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17		मधुबनी	118	6	0	0	4	0	10	7	1	8	6	1	5	18	46	13	1	8	10	1	5	18	56	2	0	3	2	2	6	15	0	1	1	0	2	0		
18		समस्तीपुर	68	13	1	0	11	3	28	4	0	0	2	0	0	4	10	17	1	0	13	3	0	4	38	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0		
19		सहरसा	32	6	0	0	4	0	10	2	0	1	1	0	1	4	9	8	0	1	5	0	1	4	19	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
20		मधुबनी	43	2	0	0	1	0	3	9	1	0	4	2	2	12	30	11	1	0	5	2	2	12	33	3	0	0	1	0	4	8	0	0	1	0	1	1		
21		मुजफ्फरपुर	30	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	2	8	17	2	0	3	2	0	2	8	17	0	0	1	0	0	3	4	0	1	0	0	1	0		
22		पुर्निया	60	2	0	0	0	0	2	9	1	0	1	0	2	7	20	11	1	0	1	0	2	7	22	3	0	0	0	0	2	5	0	0	1	0	1	1		
23		अररिया	78	7	1	0	0	0	8	6	0	0	1	0	0	1	8	13	1	0	1	0	0	1	16	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0		
24		किसानपुर							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0				
25		कटिहार	67	10	1	0	0	1	12	3	0	0	1	0	1	2	7	13	1	0	1	1	1	2	19	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
26		भगसपुर	47	5	0	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	2	6	1	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27		बक्सर	35	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	2	11	8	0	0	0	0	1	2	11	3	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	
28		मुजफ्फरपुर							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0				
29		राजमहल	19	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	5	11	4	0	0	1	0	1	5	11	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1		
30		मधुबनी	60	11	1	0	3	1	16	0	0	0	0	0	0	4	4	11	1	0	3	1	0	4	20	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1		
31		सहीसख	13	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	5	11	1	1	2	1	0	1	5	11	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0		
32		रोहतास	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	5	2	0	0	1	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33		जमुई	28	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3	0	2	5	17	7	0	0	3	0	2	5	17	2	0	0	1	0	2	5	0	1	0	0	1	0		
34		मधु	128	25	2	0	7	5	39	2	0	1	1	0	1	2	7	27	2	1	8	5	1	2	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35		जहानाबाद	18	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	1	1	8	3	1	0	2	0	1	1	8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
36		अररिया	34	5	0	0	4	0	9	2	0	1	1	0	1	3	8	7	0	1	5	0	1	3	17	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
37		अररिया	11	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	1	2	8	3	1	0	1	0	1	2	8	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0		
38		मधु	62	14	1	3	6	1	25	3	0	4	2	0	2	7	18	17	1	7	8	1	2	7	43	1	0	1	0	0	2	4	0	0	0	1	1	1		
39		कुल योग		223	14	20	113	17	387	134	8	45	66	11	43	183	490	357	22	65	179	28	43	183	877	36	0	13	15	6	58	128	2	6	7	4	19	9		

du

P

पत्रांक-23/नियुक्ति-01-38/2026 (3064)
प्रेषक,

पत्रांक-23/नियुक्ति-01-38/2026 14271/सा0प्र0

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

015(विज्ञान)

28/8/26

सेवा में,

रजनीश कुमार(भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव।

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग,
पटना।

पटना-15, दिनांक- 06.08.26

विषय-

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली TRE-4 के तहत शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के विद्यालयों में (वर्ग 1 से 5) कक्षा के लिए एवं मध्य विद्यालयों में (वर्ग 6 से 8) कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापक के कोटिवार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु किन्नर/कोथी/हिजरा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) वर्ग के अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण देने हेतु कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग-

1. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2300, दिनांक-31.07.2026
2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-13746 दिनांक-29.07.2026 एवं
3. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2233, दिनांक-27.07.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र-1 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में मूल कोटि (वर्ग 1 से 5) कक्षा के विद्यालय अध्यापक के कोटिवार कुल-3847 (तीन हजार आठ सौ सैंतालीस) एवं मध्य विद्यालयों में (वर्ग 6 से 8) कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापक के कोटिवार कुल-8563 (आठ हजार पाँच सौ तिरेसठ) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु किन्नर/कोथी/हिजरा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) वर्ग के अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक-2233 दिनांक-27.07.2026 द्वारा प्रशासी विभाग के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में मूल कोटि (वर्ग-1 से 5) कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापक के (सामान्य विषय-3065, उर्दू-757 एवं बांग्ला-25) अर्थात कोटिवार कुल-3847 (तीन हजार आठ सौ सैंतालीस) रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्राप्त संशोधित अध्याचना पत्र (अनुलग्नक सहित) मूल रूप में अग्रेतर कार्रवाई के लिए संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

साथ ही राज्य के मध्य विद्यालयों में (वर्ग-6 से 8) कक्षा के लिए (विज्ञान एवं गणित-2188, सामाजिक विज्ञान-1190, हिन्दी-1096, अंग्रेजी-1929, संस्कृत-1225 एवं उर्दू-935) अर्थात कोटिवार कुल-8563 पदों के लिए पूर्व में प्रेषित अध्याचना यथावत रखते हुये विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराने के अनुरोध पर पुनः अध्याचना संलग्न कर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13746 दिनांक-29.07.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।

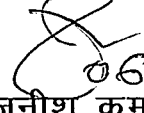
1502



अतः उक्त प्रेषित अधियाचना के क्रम में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से किन्नर/कोथी/हिजरा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) वर्ग के अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण देने हेतु प्राप्त पत्र (अनुलग्नक सहित) मूल रूप में अग्रेतर कार्रवाई के लिए संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन


06/08/2021
(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक-07/नियो0-12-03/2026 2300

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

501
P-602/896
03/08/26

प्रेषक,

कुमार निशांत विवेक, ~~महोदय~~
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में

श्री रजनीश कुमार,
अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31-07-2026

विषय:-

विद्यालय अध्यापक के पदों पर TRE-4 के तहत नियुक्ति हेतु Transgender अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक शिक्षा विभाग के पत्रांक-664 दिनांक-09.02.2026 एवं पत्रांक-2233 दिनांक-27.07.2026 द्वारा विद्यालय अध्यापक के पदों पर TRE-4 के तहत नियुक्ति हेतु अध्याचना भेजा गया था। ध्यातव्य हो कि सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-10579 दिनांक-15.06.2026 एवं सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-5627/2020 वीरा यादव बनाम मुख्य सचिव, बिहार एवं अन्य में दिनांक-17.08.2022 माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार सरकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में किन्नर/कोथी/हिजरा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) को आरक्षण प्रदान के बिन्दु पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-05.06.2026 को सम्पन्न बैठक में Transgender वर्ग के अभ्यर्थियों को गरिनामयी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसा किया गया है। उक्त के आलोक में Transgender वर्ग के अभ्यर्थियों को TRE-4 (वर्ग 1-5 एवं 6-8) के तहत अध्याचित पदों पर क्षैतिज आरक्षण देने हेतु जिलावार एवं विषयवार रिक्ति अनुलग्नक के रूप में संसूचित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि समीक्षोपरांत Transgender वर्ग के अभ्यर्थियों को TRE-4 के तहत नियुक्ति में क्षैतिज आरक्षण देने हेतु कार्रवाई करने की कृपा करें।
अनु0-यथोक्त।

श्री खोल्हा

05/08/26

विश्वसंधाजन

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

1656/23
05/08/26

वर्ग 1-5 (विषय-सामान्य)

क्रम संख्या	जिला का नाम	पूर्व के रोस्टर पंजी में व्यवहृत अंतिम बिन्दु	TRE-4 हेतु आवंटित पद	पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कुल पद	व्यवहृत रोस्टर बिन्दु तक	Transgen der हेतु अनुमान्य पद
1	शिवहर	341	61	0	402	0
2	सुपौल	2097	458	55	2555	1
3	पूर्णिया	3518	914	137	4432	1
4	अररिया	1525	44	13	1569	0
5	किशनगंज	1089	150	0	1239	0
6	कटिहार	1933	209	0	2142	0
7	मुंगेर	1022	196	30	1218	0
8	खगड़िया	2550	612	68	3162	1
9	शेखपुरा	1359	311	0	1670	0
10	जमुई	1084	108	0	1192	0
11	अरवल	785	2	0	787	0
	कुल योग		3065	303		3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

वर्ग 1-5(विषय-उर्दू)

क्रम संख्या	जिला का नाम	पूर्व के रोस्टर पंजी में व्यवहृत अंतिम बिन्दु	TRE-4 हेतु आवंटित पद	पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कुल पद	व्यवहृत रोस्टर बिन्दु	Transgen der हेतु अनुमान्य पद
1	सीतामढ़ी	452	219	51	671	1
2	शिवहर	47	1	0	48	0
3	सुपौल	214	67	9	281	0
4	पूर्णियां	581	55	0	636	0
5	अररिया	351	7	0	358	0
6	किशनगंज	380	22	0	402	0
7	बांका	265	55	7	320	0
8	मुंगेर	226	73	0	299	0
9	खगड़िया	150	26	5	176	0
10	लखीसराय	103	100	12	203	0
11	शेखपुरा	44	16	3	60	0
12	जमुई	251	55	0	306	0
13	अरवल	43	11	0	54	0
14	नवादा	173	50	2	223	0
	कुल योग		757	89		1

वर्ग 1-5 (विषय-बंगला)

क्रम संख्या	जिला का नाम	पूर्व के रोस्टर पंजी में व्यवहृत अंतिम बिन्दु	TRE-4 हेतु आवंटित पद	पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कुल पद	व्यवहृत रोस्टर बिन्दु	Transgen der हेतु अनुमान्य पद
1	पूर्णियां	7	3	1	10	0
2	अररिया	19	6	1	25	0
3	किशनगंज	10	3	0	13	0
4	कटिहार	28	7	0	35	0
5	मुंगेर	20	6	1	26	0
	कुल योग		25	3		0

वर्ग 6-8 (विषय-विज्ञान एवं गणित)

क्रम संख्या	जिला का नाम	पूर्व के रोस्टर पंजी में व्यवहृत अंतिम बिन्दु	TRE-4 हेतु आवंटित पद	पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कुल पद	व्यवहृत रोस्टर बिन्दु	Transgen der हेतु अनुमान्य पद
1	पटना	382	16	0	398	0
2	नालन्दा	372	12	0	384	0
3	रोहतास	643	37	0	680	0
4	कैमुर	234	3	1	237	0
5	सारण	134	8	3	142	0
6	सिवान	663	72	22	735	0
7	गोपालगंज	475	159	25	634	1
8	मुजफ्फरपुर	758	49	24	807	0
9	पूर्वी चम्पारण	560	78	15	638	0
10	पश्चिम चम्पारण	301	39	12	340	0
11	सीतामढ़ी	521	99	25	620	0
12	शिवहर	105	23	5	128	0
13	वैशाली	375	102	0	477	0
14	दरभंगा	558	232	4	790	0
15	मधुबनी	268	85	12	353	0
16	समस्तीपुर	358	62	3	420	0
17	सहरसा	192	56	8	248	0
18	मधेपुरा	206	71	0	277	0
19	सुपौल	260	80	10	340	0
20	पूर्णिया	346	116	13	462	1
21	अररिया	233	48	7	281	0
22	किशनगंज	347	105	12	452	1
23	कटिहार	310	62	0	372	0
24	भागलपुर	446	71	15	517	1

497 76

25	बांका	338	80	8	418	0
26	मुंगेर	287	52	2	339	0
27	खगड़िया	128	23	9	151	0
28	बेगूसराय	381	206	20	587	1
29	लखीसराय	83	3	0	86	0
30	शेखपुरा	112	12	0	124	0
31	जमुई	219	27	0	246	0
32	गया	622	11	0	633	0
33	जहानाबाद	150	17	0	167	0
34	औरंगाबाद	653	53	5	706	0
35	अरवल	71	9	0	80	0
36	नवादा	293	10	0	303	0
	कुल योग		2188	260		05

Ref

Q A

45
498

वर्ग 6-8 (विषय-समाजिक विज्ञान)

क्रम संख्या	जिला का नाम	पूर्व के रोस्टर पंजी में व्यवहृत अंतिम बिन्दु	TRE-4 हेतु आवंटित पद	पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कुल पद	व्यवहृत रोस्टर बिन्दु तक	Transgender हेतु अनुमान्य पद
1	पटना	277	32	0	309	0
2	नालन्दा	331	38	5	369	0
3	भोजपुर	248	11	0	259	0
4	कैमुर	202	5	0	207	0
5	सारण	199	19	4	218	0
6	गोपालगंज	156	17	2	173	0
7	मुजफ्फरपुर	494	29	4	523	1
8	पूर्वी चम्पारण	563	74	19	637	0
9	सीतामढ़ी	395	78	10	473	1
10	शिवहर	58	13	2	71	0
11	वैशाली	380	57	0	437	0
12	मधुबनी	368	71	4	439	0
13	समस्तीपुर	361	19	0	380	0
14	सहरसा	206	38	5	244	0
15	मधेपुरा	205	56	0	261	0
16	सुपौल	256	107	13	363	0
17	पूर्णिया	334	68	5	402	0
18	अररिया	217	36	0	253	0
19	किशनगंज	52	9	0	61	0
20	कटिहार	301	44	0	345	0
21	भागलपुर	213	9	0	222	0
22	बांका	360	40	3	400	0
23	मुंगेर	203	31	5	234	0
24	खगड़िया	63	6	0	69	0
25	बेगुसराय	319	161	6	480	1

1

34/195

26	शेखपुरा	100	11	2	111	0
27	जमुई	224	22	4	246	0
28	गया	549	38	7	587	0
29	औरंगाबाद	268	15	6	283	0
30	अरवल	44	3	0	47	0
31	नवादा	225	33	4	258	0
	कुल योग		1190	110		03

Handwritten signature

Handwritten mark

वर्ग 6-8 (विषय-हिन्दी)

क्रम संख्या	जिला का नाम	पूर्व के रोस्टर पंजी में व्यवहृत अंतिम बिन्दु	TRE-4 हेतु आवंटित पद	पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कुल पद	व्यवहृत रोस्टर बिन्दु तक	Transgen der हेतु अनुमान्य पद
1	पटना	265	69	12	334	0
2	नालन्दा	124	23	2	147	0
3	भोजपुर	122	14	2	136	0
4	बक्सर	63	6	0	69	0
5	रोहतास	40	5	0	45	0
7	सारण	38	2	0	40	0
8	सिवान	164	8	0	172	0
9	गोपालगंज	122	46	7	168	0
10	मुजफ्फरपुर	68	17	3	85	0
11	पूर्वी चम्पारण	326	63	15	389	0
12	पश्चिम चम्पारण	94	30	9	124	0
14	शिवहर	21	4	2	25	0
15	वैशाली	110	40	5	150	0
16	दरभंगा	287	142	16	429	0
17	मधुबनी	102	33	6	135	0
18	समस्तीपुर	137	18	0	155	0
19	सहरसा	58	12	1	70	0
20	मधेपुरा	108	49	5	157	0
21	सुपौल	102	35	4	137	0
22	पूर्णिया	120	43	5	163	0
23	अररिया	86	16	3	102	0
24	किशनगंज	34	13	2	47	0
25	कटिहार	101	31	0	132	0
26	भागलपुर	97	16	6	113	0
27	बाँका	86	19	0	105	0

20 July

28	मुंगेर	42	15	2	57	0
29	खगड़िया	160	48	2	208	0
30	बेगूसराय	89	78	9	167	0
31	लखीसराय	65	26	4	91	0
32	शेखपुरा	23	5	1	28	0
33	जमुई	113	24	0	137	0
34	गया	216	50	7	266	0
35	जहानाबाद	54	17	3	71	0
36	औरंगाबाद	107	29	1	136	0
37	अरवल	36	9	0	45	0
38	नवादा	94	41	9	135	0
39	कुल योग		1096	143		0

Handwritten signature

Handwritten signature

वर्ग 6-8 (विषय-अंग्रेजी)

क्रम संख्या	जिला का नाम	पूर्व के रोस्टर पंजी में व्यवहृत अंतिम बिन्दु	TRE-4 हेतु आवंटित पद	पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कुल पद	व्यवहृत रोस्टर बिन्दु तक	Transgen der हेतु अनुमान्य पद
1	पटना	262	47	6	309	0
2	नालन्दा	96	23	3	119	0
3	भोजपुर	168	57	4	225	0
4	बक्सर	104	16	2	120	0
5	रोहतास	280	66	9	346	0
6	कैमुर	85	25	5	110	0
7	सारण	127	61	6	188	0
8	सिवान	124	20	7	144	0
9	गोपालगंज	161	87	9	248	0
10	मुजफ्फरपुर	72	36	5	108	0
11	पूर्वी चम्पारण	239	78	13	317	0
12	पश्चिम चम्पारण	239	124	20	363	0
13	सीतामढ़ी	33	6	1	39	0
14	शिवहर	18	12	3	30	0
15	वैशाली	63	30	0	93	0
16	दरभंगा	384	285	30	669	1
17	मधुबनी	199	83	11	282	0
18	समस्तीपुर	180	93	12	273	0
19	सहरसा	55	39	4	94	0
20	मधेपुरा	93	73	11	166	0
21	सुपौल	91	50	6	141	0
22	पूर्णिया	46	13	2	59	0
23	अररिया	83	35	7	118	0
24	किशनगंज	113	45	4	158	0
25	कटिहार	82	30	1	112	0

78/491

26	भागलपुर	162	49	4	211	0
27	बांका	83	19	3	102	0
28	मुंगेर	24	8	0	32	0
29	खगड़िया	70	113	13	183	0
30	बेगुसराय	74	75	10	149	0
31	लखीसराय	60	21	3	81	0
32	शेखपुरा	20	8	1	28	0
33	जमुई	99	37	0	136	0
34	गया	223	41	4	264	0
35	जहानाबाद	59	14	0	73	0
36	औरंगाबाद	186	70	9	256	0
37	अरवल	35	15	0	50	0
38	नवादा	98	25	0	123	0
39	कुल योग		1929	228		01

July

7/8

वर्ग 6-8 (विषय-संस्कृत)

क्रम संख्या	जिला का नाम	पूर्व के रोस्टर पंजी में व्यवहृत अंतिम बिन्दु	TRE-4 हेतु आवंटित पद	पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कुल पद	व्यवहृत रोस्टर बिन्दु तक	Transgen der हेतु अनुमान्य पद
1	पटना	63	46	5	109	0
2	नालन्दा	34	23	1	57	0
3	भोजपुर	50	23	3	73	0
4	बक्सर	46	3	0	49	0
5	रोहतास	31	11	2	42	0
6	सारण	244	148	20	392	0
7	सिवान	52	15	0	67	0
8	गोपालगंज	45	16	2	61	0
9	मुजफ्फरपुर	61	41	5	102	0
10	पूर्वी चम्पारण	127	56	12	183	0
11	पश्चिम चम्पारण	65	52	6	117	0
12	सीतामढ़ी	19	13	3	32	0
13	शिवहर	7	5	1	12	0
14	वैशाली	63	55	6	118	0
15	दरभंगा	182	142	17	324	0
16	मधुबनी	87	33	1	120	0
17	समस्तीपुर	42	27	1	69	0
18	सहरसा	24	20	2	44	0
19	मधेपुरा	49	36	4	85	0
20	सुपौल	19	14	2	33	0
21	पूर्णिया	44	28	3	72	0
22	अररिया	22	9	0	31	0
23	किशनगंज	8	10	2	18	0
24	कटिहार	35	27	3	62	0
25	भागलपुर	43	31	3	74	0

A2

Rajul

26	बांका	37	25	1	62	0
27	मुंगेर	26	27	1	53	0
28	खगड़िया	55	41	5	96	0
29	बेगूसराय	50	55	7	105	0
30	लखीसराय	22	20	3	42	0
31	शेखपुरा	18	15	4	33	0
32	जमुई	54	51	9	105	0
33	गया	50	30	3	80	0
34	जहानाबाद	25	26	3	51	0
35	औरंगाबाद	48	21	2	69	0
36	अरवल	27	13	1	40	0
37	नवादा	16	17	1	33	0
	कुल योग		1225	144		0

Handwritten signature

Handwritten initials

वर्ग 6-8 (विषय-उर्दू)

क्रम संख्या	जिला का नाम	पूर्व के रोस्टर पंजी में व्यवहृत अंतिम बिन्दु	TRE-4 हेतु आवंटित पद	पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कुल पद	व्यवहृत रोस्टर बिन्दु तक	Transgen der हेतु अनुमान्य पद
1	पटना	75	35	4	110	0
2	नालन्दा	40	18	1	58	0
3	भोजपुर	35	22	2	57	0
4	बक्सर	18	12	2	30	0
5	रोहतास	33	8	1	41	0
6	कैमुर	31	8	2	39	0
7	सारण	206	116	14	322	0
8	सिवान	24	12	2	36	0
9	गोपालगंज	19	17	2	36	0
10	मुजफ्फरपुर	36	18	1	54	0
11	पूर्वी चम्पारण	118	42	6	160	0
12	पश्चिम चम्पारण	68	47	9	115	0
13	सीतामढ़ी	22	11	2	33	0
14	शिवहर	12	2	0	14	0
15	वैशाली	54	46	6	100	0
16	दरभंगा	104	73	7	177	0
17	मधुबनी	79	37	4	116	0
18	समस्तीपुर	46	16	2	62	0
19	सहरसा	21	15	3	36	0
20	मधेपुरा	53	43	2	96	0
21	सुपौल	10	13	2	23	0
22	पूर्णिया	39	8	0	47	0
23	अररिया	67	25	4	92	0
24	किशनगंज	48	15	0	63	0
25	कटिहार	42	26	0	68	0

अ

अ

66 487

25/11/21

26	भागलपुर	45	19	0	64	0
27	बांका	30	18	0	48	0
28	मुंगेर	13	8	0	21	0
29	खगड़िया	31	23	0	54	0
30	बेगुसराय	35	54	5	89	0
31	लखीसराय	24	15	1	39	0
32	शेखपुरा	7	4	1	11	0
33	जमुई	59	46	7	105	0
34	गया	54	18	2	72	0
35	जहानाबाद	36	22	1	58	0
36	औरंगाबाद	26	8	2	34	0
37	अरवल	5	4	0	9	0
38	नवादा	23	11	0	34	0
39	कुल योग		935	97		0

प्रति

8/11

पत्रांक-23/नियुक्ति-01-37/2026.13988/सा0प्र0

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

५/९ (विज्ञापन)

प्रेषक,

रजनीश कुमार(सा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग,
पटना।

पटना-15, दिनांक-31.07.26

विषय-

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली TRE-4 के तहत शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (वर्ग 9वीं-10वीं) कक्षा के लिए एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (वर्ग 11वीं-12वीं) कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापक के कोटिवार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु किन्नर/कोथी/हिजरा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) को क्षैतिज आरक्षण देने हेतु कार्रवाई करने संबंध में।

प्रसंग-

1. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-838, दिनांक-31.07.2026
2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-13764 दिनांक-29.07.2026 एवं
3. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-819, दिनांक-27.07.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र-1 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (वर्ग 9वीं-10वीं) कक्षा के विद्यालय अध्यापक के कोटिवार कुल-3877 (तीन हजार आठ सौ सतहत्तर) एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (वर्ग 11वीं-12वीं) कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापक के कोटिवार कुल-16101 (सोलह हजार एक सौ एक) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु किन्नर/कोथी/हिजरा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक-819 दिनांक-27.07.2026 द्वारा प्रशासी विभाग के अंतर्गत राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (वर्ग-9वीं से 10वीं) कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापक के कुल-3877 (तीन हजार आठ सौ सतहत्तर) एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (वर्ग-11वीं से 12वीं) कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापक के कुल-16101 (सोलह हजार एक सौ एक) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अध्यापना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13764 दिनांक-29.07.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उपलब्ध कराया गया है।

2227/522
06.08.2026

अतः उक्त प्रेषित अधियाचना के क्रम में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र (अनुलग्नक सहित) मूल रूप में अग्रेतर कार्रवाई के लिए संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन


(रजनीश कुमार) 21/07/24,

सरकार के अपर सचिव।

(484)

8-6013136
31/07/26

838

पत्रांक-11/वि०-33/2025

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

सज्जन आर०, भा०प्र०से०

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

श्री रजनीश कुमार,

अपर सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31-7-2026

विद्यालय अध्यापक के पदों पर TRE-4 के तहत नियुक्ति हेतु Transgender अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा विभाग के पत्रांक-819 दिनांक-27.07.2026 द्वारा विद्यालय अध्यापक के पदों पर TRE-4 के तहत नियुक्ति हेतु अध्यायना भेजा गया था। ध्यातव्य हो कि सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-10579 दिनांक-15.06.2026 एवं सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-5627/2020 वीरा यादव बनाम मुख्य सचिव, बिहार एवं अन्य में दिनांक-17.08.2022 माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार सरकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में किन्नर/कोथी/हिजरा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) को आरक्षण प्रदान के बिन्दु पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-05.06.2026 को सम्पन्न बैठक में Transgender वर्ग के अभ्यर्थियों को गरिमामयी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसा किया गया है। उक्त के आलोक में Transgender वर्ग के अभ्यर्थियों को TRE-4 के तहत अध्यायित पदों पर निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण देने हेतु संसुचित किया जाता है।

वर्ग 9-10 के विद्यालय अध्यापक

क्रम संख्या	जिला का नाम	विषय	व्यवहृत रोस्टर बिन्दु	TRE-4 हेतु कुल आवंटित पद	पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कुल पद	Transgender हेतु आरक्षित पदों की संख्या
1	पूर्वी चम्पारण	हिन्दी	रोस्टर बिन्दु 529 तक	75	25	1
2	पूर्वी चम्पारण	अंग्रेजी	रोस्टर बिन्दु 582 तक	111	15	1
3	पूर्वी चम्पारण	विज्ञान	रोस्टर बिन्दु 477 तक	38	12	1
4	प० चम्पारण	गणित	रोस्टर बिन्दु 545 तक	73	20	1
5	मधुबनी	गणित	रोस्टर बिन्दु 590 तक	48	15	1
6	प० चम्पारण	समाजिक विज्ञान	रोस्टर बिन्दु 606 तक	110	12	1
7	मधुबनी	समाजिक विज्ञान	रोस्टर बिन्दु 575 तक	30	4	1
						7

1644/23

31/07/26

वर्ग 11-12 के विद्यालय अध्यापक

क्रम संख्या	जिला का नाम	विषय	व्यवहृत रोस्टर बिन्दु	TRE-4 हेतु कुल आवंटित पद	पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कुल पद	Transgender हेतु आरक्षित पदों की संख्या
1	पूर्वी चम्पारण	रसायनशास्त्र	रोस्टर बिन्दु 558 तक	242	40	1
2	पूर्वी चम्पारण	इतिहास	रोस्टर बिन्दु 501 तक	45	11	1
3	प० चम्पारण	इतिहास	रोस्टर बिन्दु 634 तक	73	0	0
4	प० चम्पारण	राजनीति विज्ञान	रोस्टर बिन्दु 515 तक	37	11	1
5	पूर्वी चम्पारण	कम्प्यूटर विज्ञान	रोस्टर बिन्दु 478 तक	41	21	1
6	पूर्वी चम्पारण	अंग्रेजी	रोस्टर बिन्दु 516 तक	129	13	1
7	सारण	अंग्रेजी	रोस्टर बिन्दु 460 तक	114	16	1
8	पूर्वी चम्पारण	हिन्दी	रोस्टर बिन्दु 460 तक	84	15	1
						7

उक्त विषयों के अन्तर्गत नियुक्ति के क्रम में विज्ञापित पदों में से Transgender हेतु आरक्षित रखे गये पद पिछड़ा वर्ग (BC-II) अन्तर्गत व्यवहृत रोस्टर बिन्दु 451 से 500 के बीच पिछड़ा वर्ग (BC-II) का अन्तिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु के रूप में देय होगा।

अतः अनुरोध है कि समीक्षोपरांत Transgender वर्ग के अभ्यर्थियों को TRE-4 के तहत नियुक्ति में क्षैतिज आरक्षण देने हेतु कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे।

विश्वासभाजन

(सज्जन आर०)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।